26

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)

छब्बीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2021/ अग्रहायण, 1943 (शक)

छब्बीसवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)

02.12.2021 **को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।**
02.12.2021 **को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।**

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2021/ अग्रहायण, 1943 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति (2021-22) की संरचना		**(iv)**
प्राक्कथन		**(vi)**
	प्रतिवेदन	
अध्याय-एक	प्रस्तावना	**01**
अध्याय-दो	बजटीय आबंटन	**06**
अध्याय-तीन	छात्रावासों की स्थिति	**15**
अध्याय-चार	छात्रावासों के निर्माण में विलंब	**32**
अध्याय-पांच	छात्रावास अवसंरचना	**46**
अध्याय-छह	निगरानी और मूल्यांकन	**60**
अनुबंध		
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की मंगलवार 10 **नवंबर**, 2020 **को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।**		**65**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की दिनांक 13 जुलाई, 2021 को हुई बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश		**69**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की सोमवार, दिनांक 15 नवम्बर, 2021 को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश		**73**
परिशिष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों का विवरण		**75**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का गठन

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य
लोक सभा

2. श्री दीपक (देव) अधिकारी
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थॉमस चाछीकादन
7. श्री छतरसिंह दरबार
8. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
9. श्रीमती मेनका संजय गांधी
10. श्री हंस राज हंस
11. श्री के. शनमुगा सुंदरम
12. श्री अब्दुल खालेक
13. श्रीमती रंजीता कोली
14. श्रीमती गीता कोड़ा
15. श्री विजय कुमार
16. श्री अक्षयवर लाल
17. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
18. श्री अर्जुन सिंह
19. श्रीमती सुप्रिया सुले
20. श्रीमती रेखा वर्मा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला
23. श्रीमती झरना दास बैद्य
24. श्रीमती रमिलाबेन बारा
25. श्री अबीर रंजन बिस्वास
26. श्रीमती गीता *उर्फ* चन्द्रप्रभा
27. श्री एन. चंद्रशेखरन
28. श्री नारायण कोरागप्पा
29. श्रीमती ममता मोहंता
30. श्रीमती छाया वर्मा
31. श्री रामकुमार वर्मा

_____

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती ममता केमवाल	-	निदेशक
3.	श्री कृषेन्द्र कुमार	-	उप सचिव

प्राक्कथन

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने पर, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) संबंधी यह छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

2. समिति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के प्रतिनिधियों का 10 नवंबर, 2020 और 13 जुलाई, 2021 को मौखिक साक्ष्य लिया। समिति की टिप्पणियां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित है।

3. समिति ने दिनांक 15 नवम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. समिति ने विषय के जांच के संदर्भ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के अधिकारियों द्वारा लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/सूचना देने और समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देती है।

5. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;

02 दिसंबर, , 2021

11 अग्रहायण, 1943 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी
स्थायी समिति।

प्रतिवेदन

अध्याय एक

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)

प्रस्तावना

1.1 अनुसूचित जाति के बच्चों/विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की केंद्र प्रायोजित योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना अर्थात 1961-66 से और अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए 1989-90 से संचालित हो रही है, चूंकि ऐसे छात्रावास देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित इस योजना को 01 जनवरी 2008 को बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) के रूप में संशोधित किया गया था। इस योजना को 10 सितम्बर, 2018 और 15 जुलाई, 2020 को आगे फिर संशोधित किया गया। वर्ष 2007-2008 में इस योजना में संशोधन के बाद से बालक-बालिकाओं के लिए वर्ष 2020-2021 तक के लिए स्वीकृत 819 में से 662 छात्रावासों का निर्माण कर लिया गया है।

1.2 समिति ने आरंभ से निर्मित छात्रावासों का आंकड़ा मांगा किंतु विभाग द्वारा बताया गया कि 2007-2008 से पहले निर्मित छात्रावासों की संख्या से संबंधित आंकड़े उनके पास उपलब्ध नहीं हैं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) द्वारा जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने तक विभाग द्वारा ऐसा कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

1.3 संशोधित बीजेआरसीवाई योजना का मूल उद्देश्य छात्रावास निर्माण कार्यक्रम शुरू करने विशेष रूप से अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में शिक्षा जारी रखने और उनकी पढ़ाई छोड़ने की दर (ड्राप आउट रेट) को कम करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को आकर्षित करना है । इसके अन्य उद्देश्य हैं:

(i) वरीयता के आधार पर, उन प्रत्येक ब्लॉक, मुख्यालयों/निम्न साक्षरता जिलों में जिनमें इस समय ये नहीं हैं, 100 सीटों की क्षमता वाला एक बालिका छात्रावास हो, (ii) छात्रावासों की मरम्मत और उनका समुचित रखरखाव और (ii) निगरानी, समीक्षा, इत्यादि के लिए एक प्रभावी तंत्र होना।

1.4 विभाग के अनुसार, यह योजना राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों और केंद्र और राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। 2018 में इस योजना में संशोधन से पहले, निजी क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और मानद विश्वविद्यालयों को भी केवल अपनी मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती थी। केंद्र सरकार इन कार्यान्वयन एजेंसियों को छात्रावास भवनों के नए निर्माण, मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार और परिचालन, छात्रावासों की मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। 2018 में योजना में संशोधन से पहले छात्रावासों के रखरखाव पर होने वाला खर्च कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा स्वयं अपनी निधि से वहन किया जाता था।

1.5 बीजेआरसीवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसियां छात्रावासों के निर्माण/विस्तार के लिए उपयुक्त भूमि नि:शुल्क प्रदान करती हैं। जुलाई, 2020 में संशोधन के बाद से छात्रावासों को मंजूरी देते समय आबादी में अनुसूचित जाति के 15 प्रतिशत (जो पहले 20 प्रतिशत या अधिक था) या उससे अधिक घनत्व वाले और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधाओं से रहित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्य सरकारें छात्रावासों के संचालन और उनकी गतिविधियों की निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं। छात्रों पर होने वाले व्यय को केंद्र/राज्यों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के साथ तालमेल से पूरा किया जा सकता है, जैसे प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना आदि। छात्रों के लिए इन-हाउस कोचिंग, चिकित्सा देखभाल, आवधिक स्वास्थ्य शिविर, आईटी शिक्षा, खेल कोचिंग आदि जैसी सुविधाएं भी केंद्र/राज्य के संबंधित मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के साथ तालमेल स्थापित कर प्रदान की जा सकती हैं ।

1.6 बालिकाओं तथा बालकों के छात्रावासों के लिए मौजूदा वित्त पोषण की प्रणाली इस प्रकार है:-

क. <u>बालिका छात्रावासों के लिए</u>

योजना में निर्धारित लागत संबंधी मानदंडों के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

ख. <u>बालक छात्रावासों के लिए</u>

- समान अंशदान आधार पर राज्य सरकारों को 50% केन्द्रीय सहायता दी जाती है।
- संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100% केन्द्रीय सहायता दी जाती है।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को 90% केन्द्रीय सहायता दी जाती है। शेष 10% लागत संबंधित केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा वहन की जाती है।

ग. राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 45% है, शेष 55% लागत राज्य विश्वविद्यालय/संस्था और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा 10:45 के अनुपात में वहन की जाती है।

घ. यदि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के लिए उक्त यथा निर्धारित अपना प्रत्याशित 45% अंशदान नहीं देते हैं, तो विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा इनके अंशदान को भी वहन करना पड़ता है जिसके फलस्वरूप उनका अंशदान 55% तक बढ़ जाता है।

1.7 समिति को मिली अधतन जानकारी के अनुसार इस योजना में और संशोधन किया जा रहा है क्योंकि ग्यारहवें वित्त आयोग ने बीजेआरसीवाई तथा दो अन्य योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) और अनुसूचित जाति उप योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए टू एससीएसपी) के एक योजना अर्थात प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-**अजय**) में विलय के लिए आर्थिक

मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से सिफारिश की है। जैसा कि प्रस्तावित है, बालक छात्रावास सहित पीएम-एजेएवाई की पूरी समामेलित योजना को पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव जिला स्तर पर शुरू होगा।

अध्याय दो

बजटीय आवंटन

2.1 यह पाया गया है कि 2019-20 से बालक और बालिका छात्रावासों के लिए अलग-अलग आवंटन बंद कर दिया गया है। वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक बीजेआरसी के बजट अनुमान (ब.अ.), संशोधित अनुमान (सं.अ.) और वास्तविक व्यय (वा.व्यय) इस प्रकार हैं-

(₹ करोड़ रुपए में)

वर्ष	ब.अ.			सं.अ.			वा. व्यय		
	बालिका	बालक	कुल	बालिका	बालक	कुल	बालिका	बालक	कुल
2016-17	40.00	05.00	45.00	30.00	5.00	35.00	30.10	4.90	35.00
2017-18	150.00	05.00	155.00	150.00	05.00	155.00	70.01	4.90	74.91
2018-19	155.45	05.00	160.45	20.00	12.00	32.00	23.11	13.44	36.56
2019-20	-	-	107.76	-	-	25.00	-	-	25.00
2020-21	-	-	30.00	-	-	30.00	-	-	56.39
2021-22	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-

2.2 विभाग ने बताया कि 2021-22 से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) के अंतर्गत समामेलित दो स्वतंत्र योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम

योजना और अनुसूचित जाति उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता के लिए 2020-21 में क्रमश: 700 करोड़ रुपये और 1200.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। 2020-21 में बीजेआरसीवाई के तहत वास्तविक व्यय 56.39 करोड़ रुपये था। तथापि, वर्ष 2021-22 के लिए उपरोक्त तीनों योजनाओं के लिए पीएम-**अजय** के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के 1960.00 करोड़ रुपए की तुलना में 1800.00 करोड़ रुपये का समेकित आवंटन किया गया है तथा पूरी समामेलित योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2021-22 से पूरी तरह से वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है।

2.3 इस अवधि के दौरान स्वीकृत बालिकाओं और बालकों के छात्रावासों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

बर्ष	छात्रावासों की संख्या		छात्रावास निवासी	
	बालिका	बालक/ छात्रावासी	बालिका	बालक
2016-17	18	12	1250	700
2017-18	17	01	70	100
2018-19	12	15	954	1000
2019-20	06	05	1000	
2020-21	22	02	3230	
2021-22	-	-	-	

2.4 समिति द्वारा 2019-20 से बालक और बालिका छात्रावासों के लिए अलग-अलग आवंटन को बंद करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने साक्ष्य उपरांत उत्तर में बताया कि:

"चूंकि अनुसूचित जाति के लिए बालक और बालिका छात्रावास योजना एक

एकल योजना (बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना) है और वित्त मंत्रालय के बजट दस्तावेज में बालिकाओं और बालकों दोनों के छात्रावासों के लिए संयुक्त योजना आवंटन था, इसलिए विस्तृत अनुदानों की मांगों में आवंटन को भी 2019-2020 से समेकित कर दिया गया है।"

2.5 2017-18 और 2018-19 के दौरान आवंटित संसाधनों के कम उपयोग के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया कि:

"वर्ष 2017-18 के दौरान बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) की योजना में एक नया घटक अर्थात अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना को शामिल करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार/संसाधित किया गया था और उसे व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के विचारार्थ भेजा गया था। प्रस्ताव के अनुमोदन की प्रत्याशा में वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए योजना के तहत अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई थी। तथापि, 2018-19 के दौरान व्यय वित्त समिति, व्यय विभाग द्वारा इस प्रस्ताव को लागू करने की सिफारिश नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप तीन वर्षों के दौरान बजटीय आबंटन का कम उपयोग हुआ।"

2.6 विभाग के सचिव ने 2016-17 और 2019-20 के दौरान कम उपयोग के संबंध में आगे स्पष्ट किया कि:

"इसमें हम तभी फंड रिलीज करेंगे, जब इसका यूटीलाइजेशन होगा। केवल काम की प्रगति के आधार पर हम और धन जारी करते हैं। मान लीजिए, कोई प्रगति न हो, तो ऐसे में राज्य सरकार इसका उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए करेगी। इसलिए, हम प्रगति के अनुसार ही निधि जारी करते हैं। बजट एक अनुमान है।"

2.7 बीजेआरसीवाई के साथ अनुसूचित जाति उप योजना विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए टू एससीएसपी) और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) को पीएम पीएम-**अजय** योजना के साथ के विलय करने उद्देश्यों के बारे में पूछे जाने पर समिति के विचार-विमर्श के दौरान सचिव ने यह जानकारी दी कि:

"हम इसलिए लाए कि जहां पर अभी तक छात्रावास नहीं है, वहां पर हमें जितने छात्रावास को लेना चाहिए, उतने ले सकें क्योंकि पी.एम. अजय में, आप

जानती हैं, करीब-करीब दो हजार करोड़ रुपये हम हर साल खर्च करते हैं। इसलिए जहां चाहिए, वहां के लिए हम छात्रावास सैंक्शन कर सकते हैं और टेक-अप भी कर सकते हैं। फण्ड्स का जो लिमिटेशन पहले की बी.जे.आर.सी. स्कीम में है, वह लिमिटेशन अब हट जाएगा, इसलिए हम उसे पी.एम. अजय के अण्डर लाए।"

2.8 उन्होंने आगे बताया कि:

"पीएम-एजेएवाई के अंतर्गत अब यह उस योजना का हिस्सा होगा - यह 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। इसके बाद निधि की कोई सीमा भी नहीं है। पहले निधि की सीमा थी। पीएम-एजेएवाई को करीब 1800-2000 करोड़ का सालाना आवंटन मिला है। इसलिए निधि की कोई बाधा नहीं है। हम वास्तव में सबसे पिछड़े और उपयुक्त क्षेत्रों और उपयुक्त संस्थाओं के लिए भी वित् पोषण कर सकते हैं। यदि संस्था भूमि उपलब्ध कराती है तो फिर धन की कोई समस्या नहीं है।"

2.9 विभाग ने अपने लिखित उत्तर में 2021-22 में एक ही कम बजटीय आवंटन के साथ तीन योजनाओं के विलय के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया कि:

"विलय के पीछे का तर्क इन योजनाओं की प्रकृति में समानता है जो अधिकांश हिस्से में समान कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप बेहतर मूल्यांकन होगा और परिणामतः बेहतर योजना बनेगी और संसाधनों का अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग होगा।"

2.10 यह पूछे जाने पर कि क्या इस योजना को प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना ((पीएम-**अजय**)) में विलय करने से पहले कोई अध्ययन किया गया था, विभाग ने साक्ष्य उपरांत अपने लिखित उत्तरों में यह जानकारी प्रदान कि:

"नीति आयोग ने बीजेआरसीवाई के कार्यकरण के मूल्यांकन के बाद एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन के अनुसार यह सिफारिश की गई है कि योजना के दिशा-निर्देशों में एससीएसपी के तहत योजनाओं के साथ योजना के समामेलन का एक घटक जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, पीएमएजीवाई के एससीपी टू एससीए जैसी विभिन्न योजनाओं के बुनियादी ढांचे के घटक को बीजेआरसीवाई के साथ समामेलित किया जा सकता है ताकि अनुसूचित जाति

के लाभार्थियों के लिए कमी को दूर किया जा सके।"

2.11 सचिव ने समिति को जानकारी देने के लिए आयोजित विचार-विमर्श के दौरान यह भी बताया कि:

"मुझे मालूम है कि यह स्कीम और अच्छा कर सकती है। इसमें हम और ज्यादा इनवेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों की हायरस्टडीज़ के लिए घर से बाहर निकलने पर रहने का इंतजाम बहुत ही इंपोर्टेंट है, स्पेशियली गर्ल्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, नहीं तो कोई पैरेंट्स उन्हें नहीं भेजेंगे। इसको हम कैसे और बेहतर बनाएं? इसके ऊपर मंत्रालय में काफी चर्चा चल रही है।"

2.12 समिति नोट करती है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण की 60 वर्ष पुरानी योजना 2008 से बीजेआरसीवाई के नाम से चल रही है। इस योजना में अनेक बड़े संशोधन हुए हैं। हाल का संशोधन यह है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 से इस योजना के लिए बजट आवंटन को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) में मिला दिया गया है और इसके साथ में दो अन्य योजनाएं नामत: प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) तथा अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए टू एससीएसपी) हैं। मंत्रालय ने समिति को आश्वस्त करने का प्रयास किया है कि इससे अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं हेतु छात्रावास के निर्माण के लिए असीमित निधियां प्राप्त होंगी। समिति यह जानकर आश्चर्य व्यक्त करती है कि अनुदानों की मांगों (2021- 22) की जांच के दौरान मंत्रालय द्वारा सूचना दी गई है कि इसमें वृद्धि किए जाने के बजाए 2021-22 के लिए बजटीय आवंटन 160.00 करोड़ रुपए घटा दिया गया है क्योंकि 2020-21 पीएमएजीवाई के लिए बजट आवंटन तथा एसीए टू एससीएसपी और बीजेआरसीवाई के अंतर्गत वास्तविक व्यय जोड़ने पर 1960.00 करोड़ रुपए बैठता है जबकि 2021-22 के दौरान यह मात्र 1800.00 करोड़ रुपए है। इसके अलावा छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग आवंटन को एक साथ मिला दिया गया है और 2019-20 से घटाया गया एकल आवंटन किया जा रहा है। समिति विभाग के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है कि एकल आवंटन से आवश्यकता का बेहतर आकलन, आयोजना तथा संसाधनों का अधिक सफल तरीके से उपयोग हो पाएगा क्योंकि योजना का कार्य-निष्पादन अत्यंत निराशाजनक रहा है क्योंकि विभाग ने 2007-08 से 2020-21 तक की 13 वर्षों की अवधि में मात्र 819 छात्रवासों को मंजूरी दी है। इसमें से 2016-17 से अब तक मात्र 110 छात्रावासों को मंजूरी दी गई है इसलिए समिति को इस बात का विश्वास दिलाए जाने की आवश्यकता है कि बीजेआरसीवाई के अंतर्गत छात्रावासों के लिए तेजी से मंजूरी मिले और इनका वास्तविक निर्माण हो जिससे यह विश्वास बन सके कि अब यह कार्य एकल आवंटन से अच्छी तरह आगे बढ़ेगा । समिति महसूस करती है कि अन्य योजना से प्रभावित हुए बिना अथवा अन्य योजनाओं को प्रभावित किए बिना इसके स्वतंत्र कार्यकरण के लिए विशिष्ट आवंटन जारी रहना चाहिए था। बीजेआरसीवाई सहित तीन योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान 2021-22 में पीएम-अजय के अंतर्गत कर दिया गया है। समिति आशा करती है कि पीएम-एजेएवाई आवंटन में से हर योजना के अंतर्गत

कम-से-कम आंशिक आवंटन करना चाहिए था जिसमें छात्रों और छात्राओं के छात्रावासों के लिए अलग-अलग आवंटन हो ताकि प्रत्येक योजना आवंटित निधियों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करे और प्रत्येक योजना की सफलता का आकलन उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर हो। समिति विभाग से आशा करती है कि वह पीएम-एजेएवाई के अंतर्गत बीजेआरसीवाई को सफल बनाने के लिए नई निधि की व्यवस्था के समर्थन और औचित्य को सिद्ध करने के लिए की गई कार्रवाई के स्तर पर उसे वो आंकड़े प्रदान करे जो आंकड़े काफी समय से लंबित मंजूरी प्राप्त छात्रावासों को शीघ्र पूरा करने तथा जरुरतमंद ब्लॉकों/जिलों में अधिक संख्या में मंजूरी के संदर्भ में दिए गए हों, जैसा कि इस विषय पर चर्चा के दौरान बार-बार यह बात कही गई है।

2.13 समिति यह जानकर हतप्रभ हुई कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना के एक प्रस्ताव को इस तथ्य के बावजूद व्यय वित्त समिति द्वारा मंजूरी नहीं दी गई कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान अतिरिक्त निधियों का उपबंध पहले से ही मौजूद था। समिति महसूस करती है कि इस प्रकार के आवासीय विद्यालयों की स्थापना से नि:संदेह अनुसूचित जाति की बालिकाओं को अपने शैक्षिक स्तर में वृद्धि करने का एक अवसर प्राप्त होगा क्योंकि प्राय: देखा जाता है कि शिक्षा की बढ़ती लागत के कारण अनुसूचित जाति की बालिकाओं को स्कूलिंग में अपने भाइयों की तुलना वरीयता नहीं मिलती है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने यह कहते हुए इसका समर्थन किया कि छात्रावास की उपयुक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर छात्राओं के माता-पिता भी उन्हें अध्ययन के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। इस संदर्भ में समिति यह भी महसूस करती है कि अनेक राज्यों में अभी भी मौजूदा सरकारी विद्यालयों का शैक्षिक स्तर उत्साहजनक नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार का देश में अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना को बंद करना उचित समय से पूर्व उठाया गया कदम होगा। इसलिए समिति चाहती है कि इस संसदीय समिति की भावनाओं से अवगत कराते समय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने के

अपने पूर्व प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति के विचार हेतु पुनः प्रस्तुत करे तथा उचित समय पर इससे उसे भी अवगत कराए।

अध्याय तीन

छात्रावासों की स्थिति

3.1 विभाग ने सूचित किया कि इस योजना के एक उद्देश्य के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र/जिलों के ऐसे प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालयों, जिनमें अभी तक एक भी छात्रावास नहीं है, में पढ़ाई बीच में छोड़ने को रोकने और उसकी दर में कमी लाने के व्यापक दृष्टिकोण के तहत प्राथमिकता के आधार पर 100 सीटों की क्षमता वाला बालिका/बालक छात्रावास स्थापित किया जाना है। असाधारण मामलों में, अधिक क्षमताओं (अधिकतम 250 छात्रों तक) वाले छात्रावासों पर भी विचार किया जा सकता है। इन छात्रावासों की स्थापना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा की जनि है। 2018 में योजना के संशोधन से पहले निजी क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और मानद विश्वविद्यालय, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, भी केवल अपनी मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिए योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के लिए पात्र थे।

स्वीकृत छात्रावास

3.2 समिति को 2007-2008 से 2020-21 तक स्वीकृत अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के छात्रावासों की पूर्णता की स्थिति के विषय में इस प्रकार सूचित किया गया था :

1	अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के छात्रावासों की स्वीकृत संख्या	819
2	ऐसे छात्रावासों की संख्या जिनका निर्माण पूरा हो गया है	662
3	ऐसे छात्रावासों की संख्या जिनका निर्माण पूरा नहीं हुआ है	144
4	ऐसे छात्रावासों की संख्या जिनको लागू करने वाली एजेंसी द्वारा निरस्त कर दिया गया है	13

3.3 विभाग की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में 2007-08 से 2020-21 तक स्वीकृत छात्रावासों का राज्यवार ब्यौरा और उनके पूरा होने की स्थिति इस प्रकार है:-

राज्य	स्वीकृत छात्रावासों की संख्या			ऐसे छात्रावासों की संख्या जिनका निर्माण पूरा हो गया है		
	बालिका	बालक	कुल	बालिका	बालक	कुल
आंध्र प्रदेश	7	1	8	3	1	4
असम	17	20	37	3	7	10
बिहार	7	12	19	7	8	15
छत्तीसगढ़	28	20	48	26	19	45
गुजरात	7	9	16	7	9	16
हरियाणा	12	2	14	12	2	14
हिमाचल प्रदेश	5	4	9	4	3	7
जम्मू एवं कश्मीर	3	2	5	3	1	4
झारखंड	8	13	21	4	12	16
कर्नाटक	15	19	34	9	11	20
केरल	2	7	9	2	5	7
मध्य प्रदेश	49	37	86	30	34	64
महाराष्ट्र	27	32	59	21	28	49
मणिपुर	17	3	20	12	1	13
नागालैंड	1	0	1	0	0	0
ओडिशा	159	13	172	155	13	168
पुदुचेरि	3	1	4	1	0	1
पंजाब	11	4	15	6	2	8

राजस्थान	35	67	102	29	64	93
सिक्किम	4	0	4	2	0	2
तमिलनाडु	18	27	45	5	26	31
तेलंगाना	7	2	9	3	1	4
त्रिपुरा	4	1	5	1	1	2
उत्तराखंड	2	1	3	1	1	2
उत्तर प्रदेश	14	12	26	12	9	21
पश्चिम बंगाल	34	14	48	33	13	46
कुल	**496**	**323**	**819**	**391**	**271**	**662**

3.4 पिछले तीन वर्षों अर्थात 2018-19 से 2020-21 के दौरान बीजेआरसीवाई के अंतर्गत स्वीकृत अनुसूचित जाति बालिका छात्रावासों और बालक छात्रावासों के संबंध में प्रगति इस प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	**2018- 19**			**2019-20**			**2020-21 (31-12-2020 की स्थिति के अनुसार)**		
		बालिका छात्रावासों की संख्या	बालक छात्रावासों की संख्या	कुल	बालिका छात्रावासों की संख्या	बालक छात्रावासों की संख्या	कुल	बालिका छात्रावासों की संख्या	बालक छात्रावासों की संख्या	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	असम	4	12	16	0	0	0	0	0	0
3	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	1	2
8	जम्मू एवं कश्मीर	0	1	1	0	0	0	0	0	0
9	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	1	1	2	0	1	1	0	0	0
11	केरल	0	0	0	0	2	2	0	0	0
12	मध्य प्रदेश	0	1	1	0	0	0	0	0	0
13	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	मणिपुर	0	0	0	3	1	4	0	0	0
15	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	नागालैंड	0	0	0	1	0	1	0	0	0
18	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	पंजाब	3	0	3	0	0	0	0	0	0
20	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	सिक्किम	1	0	1	0	0	0	1	0	1
22	तमिल नाडु	0	0	0	2	1	3	10	0	10
23	तेलंगाना	*	0	0	0	0	0	0	0	0
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	पुदुच्चेरि	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	कुल	**12**	**15**	**27**	**6**	**5**	**11**	**12**	**1**	**13**

3.5 यह पूछे जाने पर कि 14 वर्षों (2007-2021) के लंबे समय अंतराल में केवल 662 छात्रावास, अर्थात बालिकाओं के लिए 391 और बालकों के लिए 271, ही पूरे किए जाने के कारण क्या हैं, विभाग ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में अन्य बातों के साथ- साथ बताया कि:

> "बीजेआरसीवाई राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी संस्थानों के माध्यम से लागू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। वास्तव में यह योजना अनुसूचित जाति के गरीब छात्रों को छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक गैप फिलिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करती है जहां राज्य/संस्थान अपने संसाधनों से ऐसा नहीं कर पाते हैं। राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यकता की पहचान करने और मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए आवश्यक मूल्यांकन अभ्यास करें, तदनुसार योजना के तहत छात्रावास के निर्माण के लिए मंजूरी योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेजों/सूचना के साथ संबंधित राज्य सरकार/संस्था से प्रस्ताव प्राप्त किए जाने पर पर निर्भर करती है।''

3.6 वर्तमान में सभी ब्लॉक मुख्यालयों में बीजेआरसीवाई के तहत अनुसूचित जाति के विधार्थियों के लिए छात्रावास नहीं है। योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित सभी ब्लॉक मुख्यालयों में जिन कारणों से छात्रावास नहीं बनाए जा सके, उनके विषय में पूछे जाने पर विभाग के सचिव ने साक्ष्य के दौरान जानकारी दी कि:

"हर एक ब्लॉक में होना चाहिए। इसमें कई राज्य सरकारें काफी काम खुद के पैसों से भी कर चुकी हैं। इसलिए हम राज्य सरकार को बोलते हैं कि आप ऐसे ब्लॉक्स चुनकर हम को प्रस्ताव भेजें, जहां पर हॉस्टल्स नहीं हैं। हम तो ब्लॉक वाइज़ भी एनालाइसिस करेंगे।"

3.7 केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में बनाए गए छात्रावासों के विषय में समिति द्वारा आगे पूछे जाने पर विभाग के सचिव ने अपने उत्तर में बताया कि:

"हम अभी ऐसा कोई डेटाबेस तो मेनटेन नहीं कर रहे हैं कि हर ब्लॉक में राज्य से या केन्द्र की तरफ से होस्टल बनाए गए या नहीं। लेकिन, आप सही बोल रही हैं, हमें इसका डेटाबेस मेनटेन करना चाहिए। हम इसे मानते हैं और हम इसे नोट करके आगे भी बढ़ाएंगे।"

3.8 राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केंद्र तथा राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों से स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे प्रस्तावों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में बताया कि:

"वर्तमान में, योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो और निर्धारित प्रारूप के अनुसार हो जिसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही हो।"

3.9 यह पूछे जाने पर कि अनुसूचित जाति की कम जनसंख्या वाले राज्यों की तुलना में अनुसूचित जाति की अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में कुछ छात्रावास है, जो समिति को छात्रावासों की राज्यवार स्थिति देखने से पता चला था, सचिव ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:

"2007 से, छात्रावास के प्रस्ताव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है। अत: जिन राज्य सरकारों ने प्रस्ताव रखने और भूमि प्रस्तावित करने में अधिक रुचि ली है, उन्हें अधिक संख्या मिली है। हमने अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर कोई कोटा आवंटित नहीं किया है। यह योजना में एक कमी हो सकती है जिसमें हम और सुधार सकते हैं जबकि हम आने वाले कुछ महीनों में परिवर्तन का प्रस्ताव कर रहे हैं। लेकिन यह सच है कि कुछ राज्यों ने अधिक लाभ उठाया है

और कुछ राज्यों जिन्हें लाभ लेना चाहिए था उन्होंने लाभ नहीं उठाया। यह सही है। यह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ नियमित आधार पर अनुवर्ती कार्य के बावजूद है।"

3.10 इस संदर्भ में, विभाग के सचिव ने साक्ष्य के दौरान समिति को आगे बताया कि:

"जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर और हमारे लेवल पर भी राज्य सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसेज़ एवं मीटिंग्स भी होती हैं तथा प्रोग्रेस का रिव्यू भी करते हैं। कई राज्य अच्छा इंट्रेस्ट लेते हैं और उससे फायदा भी ज्यादा पाते हैं। कई राज्य इंट्रेस्ट नही लेते हैं। प्रपोजल नहीं आए हैं तो उसके ऊपर काफी मेहनत करती है, लेकिन ऐसा करने के बाद भी राज्यों के रिस्पोंस में फर्क है। कई राज्य काफी आगे बढ़ चुके हैं और कई राज्यों ने इतना इंट्रेस्ट नहीं लिया है।"

3.11 समिति द्वारा 1961 से तथा 2007-08 से पहले बनाए गए लड़कियों और लड़कों हेतु छात्रावासों की संख्या और कार्यरत छात्रावासों के बारे में बार-बार पूछे जाने पर, विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में बताया कि:

"सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का 2007-08 के दौरान पुनर्गठन किया गया और इसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को एक भाग के रूप में अलग कर पृथक मंत्रालय बनाया गया। वर्तमान में विभाग के पास वर्ष 2007 से आगे के आंकड़े आसानी से उपलब्ध हैं। विभाग के पुराने अभिलेखों और राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों से 2007 से पूर्व में बनाए गए छात्रावासों के बारे में वांछित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में, कार्यान्वयन एजेंसियों को पहले ही 13.01.2021 के पत्र के माध्यम से लिखा जा चुका है, जिसके पश्चात छात्रावासों की स्थिति प्रदान करने के लिए दिनांक 24.02.2021, 19.05.2021 और 05.07.2021 को अनुस्मारक भेजे गए हैं। इसके अलावा, विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ 05.03.2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग आयोजित की गई थी। पीएमयू की टीम को हाल ही में देश के विभिन्न जिलों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है ताकि बीजेआरसीवाई योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाया जा सके और

योजना के तहत स्वीकृत छात्रावासों से संबंधित विभिन्न जानकारी एकत्र की जा सके।"

3.12 इस संबंध में, विभाग के सचिव ने जानकारी देने के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान बताया कि:

"वर्ष 2007 के पहले का आंकड़ा दुर्भाग्य से अभी उपलब्ध नहीं है। इसे भी ढूंढकर आपके सामने रखेंगे क्योंकि वर्ष 2007 के बाद से इस स्कीम में बहुत ही ज्यादा अमेंड्मेंट्स हुए हैं। योजना में संशोधन से पहले पुरानी फाइलों में ,कई छात्रावास थे जिन्हें स्वीकृत कर पूरा भी कर लिया गया था और प्रचालनरत कर लिया गया था। वे ब्यौरे हम बाद में स्थायी समिति को प्रस्तुत करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी यह उपलब्ध नहीं है।"

3.13 चूंकि मौखिक साक्ष्य देने हेतु आयोजित बैठक के दौरान भी विभाग के सचिव ब्यौरा प्रदान नहीं कर सके, बाद में उन्होंने निम्नवत प्रतिबद्धता व्यक्त की:

"शिफ्टिंग में कहीं कुछ फाइल्स दूसरी जगह पर चली गईं, यह प्रॉब्लम है। हम इसको ढूंढ़वा देंगे, यह हमारा कमिटमेंट है।"

3.14 प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में छात्रावास बनाने की योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देश भर में छात्रावासों के निर्माण के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में बताया कि:

"छात्रावासों की आवश्यकता की संख्या जानने के लिए, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंक वाले संस्थानों और आकांक्षी जिलों के बीच आवश्यकता/मांग का व्यापक आकलन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें उन्हें संचालन छात्रावासों की संख्या, अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों की उपलब्धता में अंतर आदि जैसे बिंदुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखे गए हैं। इसके उत्तर में एनआईआरएफ रैंक के कुछ संस्थानों और कुछ आकांक्षी जिलों ने अनुसूचित जाति छात्रावास की आवश्यकता व्यक्त की है। इन संस्थाओं से आगे योजना के दिशा-निर्देशों के निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव

मिलने के बाद इसकी जांच कराई की जाएगी और यदि कोई विसंगति न पाई जाए तो उस के लिए धनराशि जारी करने हेतु विचार किया जाता है। पीएम-एजेएवाई के प्रस्तावित संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिसमें बीजेआरसीवाई का विलय किया जाएगा, राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासन आवश्यकता आकलन अभ्यास के बाद, छात्रावासों के निर्माण सहित जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं वाली वार्षिक कार्य योजनाएं (एएपी) प्रस्तुत करेगा। मंत्रालय अनुमोदित परियोजनाओं के लिए पीएम-**अजय** के तहत धन उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस (एनआईएसडी) के तहत एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) स्थापित की गई है, जो विभिन्न जिलों/ब्लॉकों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों की उपलब्धता और आवश्यकता के बारे में जानकारी एकत्र करेगी।"

3.15 समिति द्वारा उन छात्रावासों के बारे में पूछे जाने पर जिन्हें निर्माण के बाद चालू नहीं किया गया है और कब तक उन्हें चालू किए जाने की आशा है, विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारें इस योजना के तहत निर्मित छात्रावासों के संचालन और उनकी गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगी। तथापि, हाल ही में पीएमयू की एक टीम को देश के विभिन्न जिलों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है ताकि बीजेआरसीवाई योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाया जा सके और स्वीकृत छात्रावासों से संबंधित विभिन्न सूचना/अभिलेख एकत्र किए जा सके।"

3.16 समिति ने आगे यह भी पूछा कि क्या बीजेआरसीवाई के तहत राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए विभाग द्वारा कोई ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, इसके उत्तर में विभाग ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने की प्रक्रिया चल रही है।"

3.17 चूंकि इस योजना का एक उद्देश्य अनुसूचित जाति की लड़कियों की पढ़ाई बीच में

छोड़ने की दर को कम करना और रोकना है, इसलिए समिति ने पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए योजना की प्रभावशीलता के संबंध में पूछा। इस संबंध में विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"हालांकि, इस विभाग ने अनुसूचित जाति की लड़कियों की ड्रॉपआउट दर में कमी और रोकथाम का पता लगाने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया है, हालांकि अनुसूचित जाति की लड़कियों की ड्रॉप आउट दर को नियंत्रित करने के लिए, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा एकीकृत प्रयास किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में अनुसूचित जाति की लड़कियों की ड्रॉप आउट दर में कमी को नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	दर
2018-19	18.95
2017-18	21.45
2016-17	24.26

3.18 शैक्षिक संस्थाओं में बालिका विधार्थियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधानों के न होने की वजह से स्कूलों/कॉलेजों से बालिकाओं में ड्रापआउट मुख्य कारक है। समिति ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने छात्रावासों के लिए भूमि पर अंतिम निर्णय दिए जाने से पहले उन मानदंडों को ध्यान में रखा है जो बालिका विधार्थियों की सुरक्षा अथवा संरक्षा हेतु अनिवार्य है जैसे कि पहुंच, क्षेत्र की कानून व्यवस्था आदि और क्या विभाग द्वारा इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं, इस पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत निर्मित बालिका छात्रावासों में महिला वार्डन और चौकीदार की उपलब्धता अनिवार्य है और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों/प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से इन बालिका छात्रावासों में आवासन की प्रतिशतता, महिला वार्डन और चौकीदार की उपलब्धता आदि से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को आवधिक रूप से प्रस्तुत किया

जाना अपेक्षित है।"

3.19 समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि विभाग के पास इस योजना के तहत स्थापित सभी अनुसूचित जाति छात्रावासों का ब्यौरा नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण का प्रावधान काफी पहले 1961-66 में किया गया था । वस्तुतः, विभाग केवल ऐसे छात्रावासों का ब्यौरा समिति को उपलब्ध करा पाया था, जिन्हें 2007-08 में योजना में संशोधन के बाद स्वीकृत/पूर्ण किया गया था। इसके लिए विभाग का स्पष्टीकरण यह था कि 2007-08 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का पुनर्गठन किया गया था और इसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कुछ विभागों को इनसे अलग कर मंत्रालय बनाया गया था । फिर भी यह काफी आश्चर्यजनक है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तब से इस योजना के लिए केवल 46 वर्ष (1961-2007) का रिकार्ड प्राप्त नहीं कर पाया है। समिति के समक्ष पेश होने पर विभाग दो बार समिति को ठोस जवाब नहीं दे पाया।

यह बाद में सूचित किया गया कि समिति के आग्रह के बाद अभिलेखों को पुन प्राप्त करने की कवायद शुरू की गई है, जिसमें परियोजना निगरानी इकाई से सूचना एकत्र करने के लिए कहा गया है । समिति को आशा है कि विभाग ने अब तक स्वीकृत सभी अनुसूचित जाति छात्रावासों के विवरण के संकलन के लिए व्यापक कार्य किया है और चाहती है कि विभाग के सचिव द्वारा की गई प्रतिबद्धता के अनुसार की गई कार्रवाई के स्तर पर इस संबंध में की गई प्रगति/ एकत्र आंकड़ों की जानकारी से समिति को अवगत कराया जाये ।

3.20 समिति यह नोट कर दुखी है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निम्न साक्षरता जिलों के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में बालिका/बालक छात्रावास बनाने की योजना के उद्देश्य से 2007-08 में योजना में संशोधन के बाद से केवल 819 छात्रावासों अर्थात लड़कियों के लिए 391 और लड़कों के लिए 271 को ही मंजूरी दे पाया है। इनमें से अब तक केवल 662 का ही निर्माण हुआ है, 144 निर्माणाधीन बताये गए हैं और 13 को राज्यों ने विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिया है। 2018 और 2020 में इस योजना में और संशोधन के बाद, जहां गैर-सरकारी संगठनों और निजी संस्थानों/मानद विश्वविद्यालयों को उनके छात्रावासों के विस्तार और अनुसूचित जाति की आबादी के मानदंडों को 20 प्रतिशत या उससे अधिक से घटाकर 15 प्रतिशत या उससे अधिक करने के संबंध में दो बड़े निर्णय लिए गए थे, उसके बाद यह योजना अवरुद्ध हो गई क्योंकि उसके बाद विभाग केवल 62 छात्रावासों को ही मंजूरी दे पाया है। पूछे जाने पर विभाग ने खराब निष्पादन के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि इस योजना के तहत छात्रावास के निर्माण की मंजूरी उनसे पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त करने पर निर्भर करती है । समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि तुलनात्मक रूप से अनुसूचित जाति की अधिक आबादी वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पंजाब, बिहार आदि को कम छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं और यहां तक कि कई मामलों में स्वीकृत छात्रावासों को भी चालू नहीं किया गया है । इसलिए समिति का दृढ़ विश्वास है कि इस योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी विभाग की है क्योंकि उनके द्वारा छात्रावास सुविधा निर्माण के लिए यह योजना शुरू की गई थी ताकि देश के ग्रामीण और शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की लड़कियां/लड़के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त और पूर्ण कर सकें और इसलिए वे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्तावों के अभाव में बीजेआरसीवाई के प्रदर्शन में

सुधार के लिए अपनी लाचारी व्यक्त करने में न्यायोचित नहीं है। चूंकि उपलब्ध छात्रावासों की संख्या अभी भी मौजूदा अनुसूचित जाति की आबादी की तुलना में बहुत कम है और अनुसूचित जाति के छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रावासों की आवश्यकता होती है, इसलिए विभाग को नियमित रूप से अपनाए गए सामान्य उपायों से परे अभिनव विचारों के बारे में सोचना चाहिए । चूंकि विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित करने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए यह तत्काल आवश्यक है कि सबसे पहले पूरे भारत में विभिन्न जिलों में छात्रावासों के लिए एक विश्वसनीय डाटाबेस बनाया जाए, जिसे केन्द्रीय स्तर पर वास्तविक समय आधार पर अद्यतन करने और निगरानी की सुविधा हो । समिति को इस बात का भी आश्चर्य है कि जब इसके लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की जा सकती है तो कमी वाले जिलों में छात्रावासों की योजना क्यों नहीं बनाई जा सकती। तथापि पहले उचित मापदंडों/बेंचमार्कों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि एक व्यावहारिक कार्य योजना तैयार की जा सके । इसके लिए डेटा संग्रह और विश्लेषण की आवश्यकता होगी । समिति इस बात पर जोर देती है कि यथा लक्षित योजना को प्रभावी बनाने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। समिति अब इस तरीके से विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी ताकि दो वर्ष की समय सीमा में अपेक्षित संख्या में छात्रावास स्वीकृति, निर्माण और प्रारंभ किए जा सकें।

3.21 समिति ने हाल ही में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंक वाले कुछ संस्थानों और कुछ आकांक्षी जिलों के लिए ऐसे छात्रावासों की आवश्यकता/मांग का व्यापक मूल्यांकन किया है कि एनआईआरएफ रैंक वाले कुछ संस्थानों और कुछ आकांक्षी जिलों ने छात्रावासों की आवश्यकता को दर्शाया है। समिति ने यह भी नोट किया कि विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों की उपलब्धता और आवश्यकता के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान)एनआईएसडी (के तहत एक परियोजना निगरानी इकाई)पीएमयू (की स्थापना की गई है। समिति महसूस करती है कि अपेक्षित छात्रावासों का मूल्यांकन बिना किसी विलम्ब के समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, जिसमें क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाये ताकि कार्य सावधानीपूर्वक किया जा सके और निश्चित कार्रवाई करने के लिए निर्णय लेने हेतु विश्वसनीय आंकड़े एकत्र किए जा सकें।

समिति छात्रावासों के आकलन की संख्या और की गई कार्रवाई के स्तर पर मूल्यांकन करने के लिए तय मापदंडों संबंधी जानकारी से अवगत होना चाहेगी। समिति यह जानकर हैरान है कि आज भी इस योजना के तहत क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है और महसूस करती है कि ऑनलाइन पोर्टल बनाने से छात्रावासों की मंजूरी और निर्माण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से तेज करने में मदद मिलेगी। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग को बिना किसी विलम्ब के ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहिए और इस संबध में समिति को सूचित करें।

अध्याय चार

छात्रावासों के निर्माण में विलंब

4.1 विभाग ने समिति को बताया कि 2020 में संशोधित योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, छात्रावासों को मंजूरी देते समय 15 प्रतिशत या उससे अधिक की अनुसूचित जाति की आबादी (पहले यह 20 प्रतिशत या उससे अधिक थी) वाले और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधाओं से रहित क्षेत्रों को वरीयता दी जाए। योजना के तहत स्वीकृत छात्रावासों का निर्माण दो वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना आवश्यक है। मंत्रालय द्वारा प्रत्येक छात्रावास के लिए दो समान किश्तों में केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। पहली किस्त में परियोजना की स्वीकृति के समय क्रियान्वयन एजेंसियों को स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत तक जारी किया जाता है। दूसरी और अंतिम किस्त साइट की तस्वीरों और जियो-टैगिंग के साथ वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी की जाती है।

4.2 विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2007-08 से 2020-21 के बीच स्वीकृत 819 छात्रावासों में से मात्र 662 का निर्माण हुआ है और 144 निर्माणाधीन हैं। जमीन विवाद या अन्य कारणों से 20 छात्रावासों का निर्माण नहीं हो सका। इस अवधि में 13 छात्रावास निरस्त किए गए हैं। वर्ष 2015-16 से 2020-21 के बीच स्वीकृत छात्रावासों (बालिका और बालकों) की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार प्रस्तुत किया गया था-

4.3

विवरण	स्वीकृत छात्रावासों की कुल संख्या		निर्माण कार्य पूरा हो गए छात्रावासों की संख्या	
	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक
2015-16	23	04	15	03
2016-17	17	12	08	09
2017-18	17	01	01	0

2018-19	12	15	0	0
2019-20	06	01	05	0
2020-21	21	0	02	0

4.3 जहां तक छात्रावासों के निर्माण के लिए निर्धारित समय सीमा का संबंध है, विचार-विमर्श के दौरान सचिव ने समिति के समक्ष जानकारी दी कि:

"इस स्कीम को दो साल के अंदर खत्म करना चाहिए। यह स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से होता है, हम केवल मोनिटर करते हैं। वर्ष 2017-18 में सैंक्शन्ड हुआ है, ज्यादातर वैसे ही हॉस्टल हैं।"

4.4 विभाग के अनुसार वर्ष 2007 से अब तक पूरे न हुए कुछ छात्रावासों से संबंधित विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

राज्य	**अपूर्ण बालिका छात्रावास**	**निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण**	**अपूर्ण बालक छात्रावास**	**निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण**
आंध्र प्रदेश	2 (2008-09)	• वैकल्पिक स्थान प्रस्तावित • छत के स्तर तक निर्मित	-	-
	1(2010-11)	वैकल्पिक स्थान प्रस्तावित	-	-
बिहार	-	-	4 (2010-11)	• 3 छात्रावास निरस्त। कारण नहीं बताया गया • 1 छात्रावास निर्माणाधीन
ओडिशा	3 (2007-08)	कारण नहीं बताया गया	-	-

झारखंड	1 (2008-09)	स्थिति से अवगत नहीं	1 (2012-13)	भूमि विवाद के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ
	3 (2012-13)	(i) 1 छात्रावास निरस्त कारण नहीं दिया गया (ii) कार्य का आरंभ नहीं हुआ (iii) भूमि विवाद के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ	-	-
कर्नाटक	2 (2007-08) 1 (2010-11) 2 (2013-14)	कारण नहीं बताया गया	4 (2007-08) 2(2013-14)	कारण नहीं बताया गया
महाराष्ट्र	1 (2012-13)	पहला तल पूर्ण	3 (2013-14)	कारण नहीं बताया गया
	3 (2013-14)	कारण नहीं बताया गया	1 (2014-15)	कारण नहीं बताया गया
मणिपुर	1(2012-13)	लगभग पूरा होने की स्थिति में	-	-
	1 (2013-14)	कारण नहीं बताया गया	-	-
पंजाब	1 (2008-09)	कारण नहीं बताया गया	1 (2015-16)	60% पूर्ण
	1 (2014-15)	छत के	-	-

		स्तर तक पूर्ण		
पश्चिम बंगाल	-	-	1 (2010-11)	कारण नहीं बताया गया
असम	1 (2007-08) 1 (2013-14)	कारण नहीं बताया गया	1 (2007-08)	कारण नहीं बताया गया
पुदुच्चेरि	-	-	1 (2010-11)	केवल भूतल पूर्ण
त्रिपुरा	2 (2016-17)	कारण नहीं बताया गया	-	-
तेलंगाना	2 (2008-09)	कारण नहीं बताया गया	1 (2013-14)	छत के स्तर तक पूर्ण
	1 (2010-11)	कारण नहीं बताया गया	-	-
	1 (2013-14)	कारण नहीं बताया गया	-	-
मध्य प्रदेश	1 (2007-08)	पूरा होने की स्थिति में	-	-
	1 (2008-09)	कार्य प्रगति पर	-	-
	1 (2013-14)	कारण नहीं बताया गया	-	-

4.5 उन कारणों, जिनके चलते कई छात्रावासों का निर्माण कार्य दो वर्ष की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है, तथा विभाग द्वारा निजी संस्थानों के लिए स्वीकृत छात्रावासों सहित छात्रावासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किए गए उपायों के विषय में पूछे जाने पर विभाग ने साक्ष्योपरांत उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया कि:

> "वर्तमान में, लगभग 144 छात्रावास ऐसे हैं जिनके लिए योजना के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत की गई थी और वे अभी तक पूरा नहीं किए गए हैं। छात्रावासों के निर्माण में देरी के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए उन्हें दिनांक 13.01.2021 के पत्र के माध्यम से लिखा गया था, जिसके बाद

छात्रावासों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 24.02.2021, 19.05.2021 और 05.07.2021 की तिथियों में अनुस्मारक भेजे गए थे। इस संबंध में 05.03.2021 को कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक वीडियो कांफ्रेंसिंग आयोजित की गई थी। इसके अलावा, पीएमयू की टीम को हाल ही में देश के विभिन्न जिलों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है ताकि बीजेआरसीवाई योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाया जा सके और इन छात्रावासों के निर्माण से संबंधित विभिन्न जानकारियां एकत्र की जा सके।"

4.6 इस संबंध में साक्ष्य के दौरान सचिव ने आगे की जानकारी देते हुए कहा कि:

"मुझे यह बोलने में थोड़ी प्रसन्नता भी हो रही है कि 819 होस्टल्स में 80 परसेंट कम्पलीट हो चुके हैं। इन 20 परसेंट में 13 कैंसिल भी हो गए, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट में चली गई या कुछ और प्रॉब्लम है। बाकी 144 होस्टल्स अंडरकंस्ट्रक्शन हैं। उसके लिए परसों ही एक टीम गठित की है। यंग प्रोफेशनल्स की एक टीम गठित की है। ये 144 होस्टल्स किसलिए पेंडिंग हैं, कब से पेंडिंग हैं, कोई कॉन्ट्रेक्टर इसके ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी क्वालिटी कैसी है? हरेक एसपेक्ट को स्टडी करने के लिए दिल्ली से 20 लोगों की एक टीम गठित की है। मेरे ख्याल से वे लोग 15-20 दिन में फोटो के साथ रिपोर्ट लेकर आएँगे। यह क्यों रुका हुआ है, अगर रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है, स्लो चल रहा है तो क्यों स्लो चल रहा है, इसकी पूरी एक स्टडी कराएंगे। स्टैंडिंग कमेटी के सामने फोटोग्राफ्स के साथ रिपोर्ट रखेंगे। एक्चुअली हम 144 होस्टल्स का एनालिसिस कर रहे हैं।"

4.7 2018 में योजना में संशोधन से पहले छात्रावास निर्माण के लिए धन प्राप्त करने, किंतु निर्माण कार्य पूरा नहीं करने, वाले निजी संस्थानों के संबंध में, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए:

क्र. सं.	संस्था का नाम	बालक/बालिका	जिला/राज्य	स्थिति
1	परमहंस रामकृष्ण मुनिबाबा	बालिका	बुलढ़ाणा, महाराष्ट्र	प्रथम तल का निर्माण पूरा

2	नाना पाटील विद्यार्थी संस्था	बालक	सांगली, महाराष्ट्र	प्रथम तल का निर्माण पूरा
3	गुणाई शिक्षण प्रसारक मंडल	बालक	लातूर, महाराष्ट्र	प्रथम तल का निर्माण पूरा
4	अग्रवाल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजूकेशन सोसाइटी	बालिका	फिरोजपुर, पंजाब	छत के स्तर तक पूर्ण। पूर्णता की अंतिम स्थिति प्राप्त नहीं।
5	स्वामी सर्वानंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी	बालक	गुरदासपुर, पंजाब	60% कार्य पूर्ण।
6.	मेवाड़ एजूकेशन सोसाइटी	बालिका	मेवाड़, राजस्थान	छत के स्तर तक पूर्ण। पूर्णता की अंतिम स्थिति प्राप्त नहीं।
7	मेवाड़ एजूकेशन सोसाइटी	बालक	मेवाड़, राजस्थान	छत के स्तर तक पूर्ण।
8	सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज, बिरौड़ी	बालक	हरदोई, उत्तर प्रदेश	प्रथम तल का निर्माण पूरा

4.8 छात्रावासों के निर्माण के संबंध में निगरानी प्रणाली के संदर्भ में विभाग के सचिव ने निम्नलिखित जानकारी प्रदान की:

"जैसे मैंने बताया है कि इसमें हमारी फिफ्टी-फिफ्टी पार्टनरशिप है। स्टेट गवर्नमेंट का भी फंड्स हैं और हमारा भी फंड्स हैं। होस्टल चलाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। एज पर द स्कीम गाइंडलाइन्स ऐसे ही है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सहायता दे रहे हैं। उसमें वार्डन को अपॉइंट करना, सेनिटेशन

करना, बच्चों को एडमिट करना या मेस चलाने का काम स्टेट गवर्नमेंट खुद करती है। यह जिम्मेदारी उनके ऊपर है।"

4.9 वैसे मामलों, जहाँ राज्यों ने स्वीकृत छात्रावासों को रद्द कर दिया है, की स्थिति और अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्रावासों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके पास उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्था के विषय में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित जवाब में बताया कि:

"वर्तमान में करीब 13 छात्रावास ऐसे हैं, जिन्हें या तो भूमि या किसी अन्य विवाद के कारण रद्द कर दिया गया है। इसके बाद छात्रावासों की स्थिति की जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को 13.01.2021 के पत्र के माध्यम से कहा गया है जिसके बाद दिनांक 24-02.2021, 19.05.2021 और 05.07.2021 को अनुस्मारक भी भेजे गए।''

4.10 विभाग के सचिव ने साक्ष्य के दौरान समिति को यह भी जानकारी दी कि:

"वर्ष 2018 में जब स्कीम का मॉडीफिकेशन हुआ, तो उसमें यह कहा गया कि पहले आप सरकारी जमीन आइडेंटिफाई करो। प्रपोजल के साथ आप इसे कहां बनाएंगे, इसका स्केच भी आपको देना चाहिए। आपने जैसा कहा कि 100 बच्चों के लिए हॉस्टल होता था, हमने उसको बढ़ाकर 250 बच्चों के लिए कर दिया जिससे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या बड़े इंस्टीट्यूशंस में हॉस्टल बनने का एक अवसर इससे आया।"

4.11 योजना में संशोधन के बाद सामने आए भूमि विवाद के किसी भी मामले के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि:

"बीजेआरसीवाई योजना के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि अनुदान जारी करने के बाद, नए छात्रावास के निर्माण स्थल के बारे में किसी विवाद आदि के कारण किसी परिवर्तन की आवश्यकता है, तो कार्यान्वयन एजेंसी प्रस्तावित नए स्थान के भूमि दस्तावेजों के साथ अनुरोध प्रस्तुत कर सकती है। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पहले से जारी केंद्रीय सहायता की राशि का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि स्थान परिवर्तन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता।"

4.12 छात्रावास निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले भूमि मापदंड के बारे में पूछे जाने पर, सचिव ने साक्ष्य के दौरान बताया कि :

"लैण्ड या तो राज्य सरकार की होनी चाहिए या फिर किसी संस्थान की होनी चाहिए, लेकिन उसका टाइटल, फ्री ऑफ डिस्प्यूट होना चाहिए। रूल और गाइडलाइंस जो हैं – 2017-18 के बाद हमने बदले थे। उसके पहले क्या होता था कि राज्य सरकार जो प्रस्ताव भेजती हैं तो हम सैंक्शन करते थे। तब लैण्ड के बारे में इतनी गहराई से परीक्षण नहीं होता था। चूंकि राज्य सरकार से आ रहा है तो मानते हैं कि यह लैण्ड फ्री ही होगी। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, वहां पर कोई दूसरा आ कर लड़ाई शुरू करता है, कोर्ट में जाकर स्टे लाते हैं। मैडम, ऐसी दिक्कतें ज्यादा नहीं हैं, ये तो 13 केसिज़ हैं, जिनमें हमें यह कैंसल करना पड़ा क्योंकि लैण्ड पर बाद में डिस्प्यूट निकल आया। लेकिन सन् 2017 के बाद जब हमने नियम और गाइडलाइंस बदले थे, उसके बाद से लैण्ड का बहुत ही डिटेल्ड एग्ज़ामिन करके ही हम सैंक्शन कर रहे हैं।"

4.13 राज्यों/केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की समस्याओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा किए गए उपायों के संदर्भ में सचिव ने साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत किया कि:

"हमने जिस रणनीति का पालन किया है वह यह है कि जहां कहीं भी किसी संस्थान के भीतर पहले से ही कोई परिसर है या संस्था का अपना परिसर है, हम उसे प्राथमिकता देंगे क्योंकि तब कोई टाइटल इश्यू नहीं होगा और संस्था इसका रखरखाव भी करेगी । हम शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों कि जाँच करेंगे और देखेंगे कि इनकी संख्या कितनी है। फिर, हम इसके बाद अग्रसक्रिय कार्रवाई करेंगे।"

4.14 दोषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अगली किस्त जारी करने/रोके जाने के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित साक्ष्योपरान्त उत्तर में कहा कि :

"योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार दूसरी और अंतिम किस्त भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट साइट की तस्वीरों के साथ प्राप्त होने पर और सामाजिक न्याय

और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान-सहायता की पहली किस्त की राशि संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा समान राशि के हिस्से का पूर्ण उपयोग होने पर जारी की जाएगी। इस प्रावधान का उद्देश्य मुख्य रूप से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा धन के गलत तरीके से उपयोग की जांच करना का है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वीकृत निधि का उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए"

4.15 यह पूछे जाने पर कि क्या 2018 में निर्णय लेने से पहले कोई अध्ययन किया गया था कि इस योजना को अब केवल राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केंद्र और राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से ही लागू किया जाएगा और संशोधित योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों की संख्या के साथ-साथ मौजूदा छात्रावासों के विस्तार के लिए गैर-सरकारी संगठनों/निजी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को केंद्रीय सहायता बंद कर दी जाएगी। विभाग ने अपने लिखित उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि::

"बीजेआरसीवाई एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/केंद्र और राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है । इस योजना में संशोधन से पहले निजी क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों और मानद विश्वविद्यालयों को भी अपनी मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती थी। तथापि, लाभार्थियों की बेहतरी के लिए हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर बीजेआरसीवाई की योजना को केवल राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/केंद्र और राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए संशोधित किया गया था। तब से, बीजेआरसीवाई की योजना के तहत 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त लड़कियों और लड़कों के 62 छात्रावासों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।"

4.16 समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि अनुसूचित जाति की लड़कियों और लड़कों के लिए स्वीकृत कुल 819 छात्रावासों में से 144 छात्रावासों का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और 13 छात्रावासों को रद्द कर दिया गया है। समिति ने पाया है कि 2008-09 के रूप में इनमें से कई छात्रावासों को स्वीकृत किए जाने के बाद से कई छात्रावासों के निर्माण कार्य में अत्यधिक विलंब हुआ है। इसके अलावा 8 निजी हॉस्टलों का काम भी अधूरा है। समिति ने महसूस किया कि 6 दशक से योजना अस्तित्व में होने के बावजूद विभाग ने ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया है जिससे स्वीकृत छात्रावासों का निर्माण समय पर हो सके। हालांकि, अब 2018 और 2020 में योजना में संशोधन के बाद, विभाग द्वारा परियोजना निगरानी इकाइयों को काम की प्रगति पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी देने के साथ-साथ यह शर्त शामिल करने सहित कई पहलें की जा रही हैं कि जिस भूमि पर छात्रावास का निर्माण किया जाना है, वह या तो राज्य सरकार के स्वामित्व में होनी चाहिए या संस्थान के स्वामित्व में होनी चाहिए और भूमि का शीर्षक किसी भी विवाद से मुक्त होना चाहिए, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। समिति को साक्ष्य के दौरान यह भी बताया गया कि विभाग छात्रावासों के निर्माण के लिए ऐसे संस्थानों को तरजीह देगा जिनकी अपनी खुद की बड़ी भूमि हो। समिति आशा करती है कि अब इन प्रणालियों के लागू होने के साथ, उपर्युक्त 144 छात्रावासों का निर्माण दो साल की निर्धारित समय सीमा के भीतर कर लिया जाएगा । समिति विभाग को सुझाव देती है कि निर्धारित समयावधि से अधिक विलंबित परियोजनाओं के लिए दिशा-निर्देशों में उपयुक्त दंड प्रावधानों को शामिल करने पर विचार किया जाए। समिति सिफारिश करती है कि विभाग उपयुक्त उपाय करे ताकि निजी संस्थानों को अब तक स्वीकृत छात्रावासों का कार्य पूरा हो सके। रद्द किए गए छात्रावासों के लिए संबंधित राज्य/यूटी सरकारों को नए और पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि विभाग अपने की गई कार्रवाई टिप्पणियों में विभाग द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी दे।

4.17 समिति ने पाया है कि इस योजना के तहत बहुत पहले स्वीकृत 144 छात्रावासों का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिनमें से 8 छात्रावास निजी संस्थानों के अधीन हैं। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, विभाग ने चार बार रिमाइंडर भेजा और एक वीडियो कांफ्रेंस भी आयोजित की, हालांकि शायद ही कोई परिणाम निकला । समिति ने विभाग द्वारा अब उन 14 राज्यों में 20 कर्मियों की टीम भेजने के लिए की गई पहल की सराहना की है, जहां अधूरे हॉस्टलों की सूचना है, ताकि वास्तविक स्थिति का जायजा लिया जा सके। जैसा कि समिति के समक्ष विभाग द्वारा वायदा किया गया है, इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद उन्हें तस्वीरों के साथ एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। समिति को आशा है कि यह रिपोर्ट की गई कार्रवाई के स्तर पर भेजी जाएगी।

4.18 समिति ने नोट किया है कि 2018 में बीजेआरसीवाई के दिशा-निर्देशों में संशोधन के बाद छात्रावासों के विस्तार के लिए गैर-सरकारी संगठनों, निजी संस्थानों और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को केंद्रीय सहायता बंद कर दी गई है। इससे पहले ऐसे संस्थानों के लिए 62 हॉस्टल स्वीकृत किए गए थे। हालांकि समिति का मानना है कि इस प्रावधान को बंद करने से पहले इस मुद्दे पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया होगा, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि कुछ निजी संस्थान/डीम्ड विश्वविद्यालय देश में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, हालांकि ऐसे संस्थानों में अध्ययन करना अनुसूचित जाति के छात्रों के साधनों से परे बहुत महंगा हो सकता है। यदि बीजेआरसीवाई के तहत निर्माण किया जाता है तो कम से कम ऐसे छात्रों को मुफ्त छात्रावास का लाभ मिल सकता है। समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि गैर-सरकारी संगठनों को छोड़कर छात्रावासों के विस्तार के लिए निजी संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को केंद्रीय सहायता के संबंध में प्रावधान, उनके परिचय पत्रों की विस्तृत जांच के बाद, यदि पीएम-अजय के तहत इसकी गुंजाइश है तो फिर से जांच की जा सकती है।

<u>अध्याय - पांच</u>

छात्रावासों की अवसंरचना

5.1 योजना के मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक छात्रावास की क्षमता सामान्य रूप से 100 छात्रों से अधिक नहीं होनी चाहिए।[1] अपवाद मामलों में, बड़ी क्षमताओं वाले छात्रावासों (अधिकतम 250 छात्रों तक) पर विचार किया जा सकता है। संबंधित शिक्षण संस्थानों के लिए इस योजना के तहत बनाए गए छात्रावासों में एकीकृत और समावेशी छात्र समुदाय प्रणाली के लिए अनुसूचित जातियों के प्रति सकारात्मक झुकाव के साथ, अनुसूचित जाति के छात्रों को 70 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, छात्रावास में आवास के आवंटन में प्राथमिकता अनुसूचित जाति के उन छात्रों को दी जानी चाहिए जिनके माता-पिता या तो 'सफाई कर्मचारी' हैं या सफाई व्यवसायों में लगे हुए हैं। छात्रावास सुविधाओं के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क या प्रभार नहीं लिया जाना चाहिए।

5.2 केंद्र सरकार छात्रावास भवनों के नए निर्माण और मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।:

(क) लड़कियों और लड़कों के छात्रावासों के निर्माण/विस्तार के लिए लागत मानदंड निम्नवत हैं :

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र - प्रति अधिवासी छात्र ₹ 3.50 लाख
(ii) उत्तरी हिमालयी क्षेत्र: ₹ 3.25 लाख प्रति अधिवासी छात्र
(iii) गंगा के मैदान और निचले हिमालयन क्षेत्र: ₹ 3.00 लाख प्रति अधिवासी छात्र

(ख) इसके अलावा, प्रत्येक छात्र के लिए खाट, एक मेज और एक कुर्सी और टेलीविजन, कंप्यूटर, रसोई उपकरणों आदि जैसी सामान्य सुविधाओं के लिए प्रावधान करने के लिए प्रति छात्र ₹ 5000/- का एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ग) इसके अलावा, परिचालित छात्रावासों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 2018-19 से प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार 50 अधिवासी छात्रों के एक छात्रावास के लिए अधिकतम 5.00 लाख रुपये, 100 अधिवासी छात्रों के लिए 10.00 लाख रुपये और 150 अधिवासी छात्रों के

[1] अब 250 छात्र

लिए 15 लाख रुपये और इसी प्रकार कार्यान्वयन एजेंसियों को 150 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

5.3 इसके अलावा, केंद्र/राज्य के संबंधित मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं में तालमेल से छात्रों को इन-हाउस कोचिंग, चिकित्सा देखभाल, आवधिक स्वास्थ्य शिविर, आईटी शिक्षा, खेल कोचिंग आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती हैं । कार्यान्वयन एजेंसियां, संबंधित राज्य सरकारों/प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से, अध्यावास प्रतिशतता, छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं (लड़कियों के छात्रावास में महिला वार्डन और चौकीदार की उपलब्धता सहित), अकादमिक प्रदर्शन आदि जैसे परिणामों के बारे में समय-समय पर विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं । इसके अलावा कार्यान्वयन एजेंसियां समाचार पत्रों, टेलीविजन आदि के माध्यम से छात्रावासों में छात्रों के प्रवेश के लिए व्यापक प्रचार करेंगी। वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सूचना के तहत छात्रावास के अधिवासियों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी विकसित करेंगी।

5.4 समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि बीजेआरसीवाई के अंतर्गत देश में लड़कों/लड़कियों के लिए उपलब्ध 100 और 250 की छात्र क्षमता वाले छात्रावासों की संख्या कितनी है, तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि वर्तमान में 100 और 250 छात्र क्षमता वाले लड़कों/लड़कियों के छात्रावासों की स्वीकृत संख्या निम्नानुसार है:

	100 अधिवासियों के लिए स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	**250 अधिवासियों के लिए स्वीकृत छात्रावासों की संख्या**
लड़कियां	257	14
लड़कें	87	8

5.5 योजना के तहत बनाए गए छात्रावासों के औसत अध्यावास और छात्रावास में स्थान की उपलब्धता के बावजूद छात्रावास में प्रवेश नहीं देने के किसी मामले के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने साक्ष्य के उपरांत अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:

> "क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा छात्रावास में जगह उपलब्ध होने के बावजूद छात्रावास में प्रवेश से वंचित किए जाने का कोई मामला इस विभाग को सूचित नहीं किया गया है।"

5.6 छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्रों के 70 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में समिति को लिखित उत्तर के माध्यम से सूचित किया गया था कि:

> "इस योजना के अंतर्गत संबंधित शिक्षण संस्थानों के लिए योजना के तहत बनाए गए छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्रों को 70 प्रतिशत आरक्षण देना अनिवार्य है। इस संबंध में क्रियान्वयन एजेंसियों को अधिवासियों की संख्या और सरंचना (एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल), जिनके लिए छात्रावास का निर्माण प्रस्तावित है, का ब्यौरा देना होता है और इन विवरणों की प्राप्ति के बाद ही मंजूरी दी जाती है।

5.7 जरूरतमंद छात्रों हेतु छात्रावासों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए छात्रावासों के प्रचार के संदर्भ में समिति को सूचित किया गया कि:

> "योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसियां समाचार पत्रों, टेलीविजन आदि के माध्यम से छात्रावासों में छात्रों के प्रवेश के लिए व्यापक प्रचार कार्य करेंगी। इसके अलावा, इस योजना के तहत हाल ही में केंद्रीय सहायता जारी करने के संबंध में जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से प्रसारित की गई है ताकि दूरदराज के क्षेत्र के छात्रों को नामांकन और उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।"

5.8 दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से विभाग द्वारा इन-हाउस सुविधाओं, वार्डन आदि के संबंध में प्रतिवेदन के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने साक्ष्य के उपरान्त अपने लिखित उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि:

"योजना के अनुसार, राज्य सरकार और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को वार्डनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इन कार्यान्वयन एजेंसियों को नए छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए इन-हाउस सुविधा, वार्डन आदि का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, विभाग ने उपरोक्त के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए भी कार्यान्वयन एजेंसियों को लिखा है। इसके अलावा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस (एनआईएसडी), डीओएसजेई के अंतर्गत एक संस्थान के तहत एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) स्थापित की गई है । पीएमयू की टीम फ़ील्ड स्तर पर बीजेआरसीवाई सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी कर रही है। वे विभिन्न जिलों/ब्लॉकों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों की उपलब्धता और छात्रावासों की आवश्यकता के बारे में भी जानकारी एकत्र करेगी ।"

5.9 यह पूछे जाने पर कि क्या लागत मानदंड मुद्रास्फीति से जुड़े हुए हैं और समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं, विभाग द्वारा समिति को उनके लिखित उत्तर में सूचित किया गया था कि;

"लागत मानदंड मुद्रास्फीति से जुड़े हुए नहीं हैं और निर्दिष्ट अंतराल पर संशोधित नहीं किए गए हैं। वे योजना दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट समान हैं। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली की सिफारिशों के आधार पर पुराने लागत मानदंडों में संशोधन किया गया था। इससे पहले सभी राज्यों के लिए प्रति अधिवासी लागत मानक 2.00 लाख रुपये था ।"

5.10 किसी भी पक्ष से वित्तपोषण पैटर्न/लागत मानदंडों में परिवर्तन के लिए प्राप्त किसी भी सुझाव के संबंध में विभाग द्वारा समिति को अपने लिखित उत्तर में सूचित किया गया था कि:

"विभाग को इस योजना के तहत निर्धारित वित्तपोषण पैटर्न में बदलाव के लिए कोई लिखित सुझाव नहीं मिला है।"

5.11 यह पूछे जाने पर कि क्या विभाग के अधिकारियों द्वारा छात्रावास परिसर का कोई आवधिक निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रावासों के संचालन में दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है, विभाग ने साक्ष्य उपरान्त अपने लिखित उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि:

"प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से, मंत्रालय/संचालन समिति स्वयं परियोजनाओं का निरीक्षण कर सकती है या उपयुक्त एजेंसियों या प्राधिकरणों द्वारा फील्ड दौरा करवा सकती है । स्वीकृत परियोजनाओं का फील्ड दौरा करते समय विभागीय अधिकारी निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए अधूरे छात्रावासों का निरीक्षण करते हैं और तैयार छात्रावासों के परिचालन पहलुओं की भी निगरानी करते हैं । पिछले पांच निरीक्षणों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	छात्रावासों का नाम	निरीक्षण की तिथि	टिप्पणियां
1	विशवविद्यालय परिसर, सौराष्ट्र विशवविद्यालय, राजकोट	02/02/2020	छात्रावासों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा इस मंत्रालय को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत विनिर्देशों/भवन योजना के अनुसार किया गया है ।

2	विश्वविद्यालय परिसर, महाराजा कृष्ण कुमार सिंहजी विश्वविद्यालय, भावनगर	04/02/2020	छात्रावासों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित और 2012-13 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुमोदित स्थानों पर किया गया है। इसके अलावा, छात्रावासों का निर्माण इस मंत्रालय को प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत विनिर्देशों/भवन योजना के अनुसार किया गया है ।
3	आजाद हाई स्कूल, येयरप्लोक, इंफाल ईस्ट	02/11/2019	छात्रों को बिस्तर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं । स्टडी टेबल जैसे फर्नीचर उपलब्ध नहीं हैं।
4	एंड्रो हाई स्कूल, इंफाल ईस्ट	02/11/2019	
5	लीमारान हाई स्कूल, लीमारान, बिष्णुपुर	02/11/2019	छात्रावास पूर्ण नहीं था ।

5.12 निरीक्षण की विधि के बारे में आगे पूछे जाने पर विभाग के प्रतिनिधियों ने साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत किया कि:

"जब हम देखने जाते हैं तो शायद अच्छे संचालन वाले हॉस्टल्स ही हमको दिखा दिए जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि जो अच्छे संचालित नहीं हैं, वहां पर हमें ले जाते हों। मैडम, इसलिए सर ने जो यह बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि मॉनिट्रिंग के लिए यंग बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट किया है। मैं भी उस इंटरव्यूबोर्ड में थी। बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे हैं, जो हर चीज़ के बारे में बड़े अवेयर हैं। हम उनको पूरी एक चेकलिस्ट बना कर दे रहे हैं कि आप जब जाएंगे तो क्या-क्या चीज़ देखकर आएंगे। उससे हमें रिपोर्ट भी अच्छी मिलेगी। उसके बाद हम आपको भी अवगत कराएंगे और हम भी उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जो

चल रहे हैं, उनके भी और जिनका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ उसका भी इसी तरह से किया जाएगा।"

5.13 उन्होंने आगे जोड़ा कि:-

"मैंने स्वयं इन्सपेक्शन किया है, जैसा मैंने बताया कि अच्छे संचालित वाले हॉस्टल ही वे दिखाते हैं। उनमें जो कमियां हैं, वह मैं आपको बताती हूं। कई हॉस्टल में ऐसा देखा है कि बच्चों के खेलने-कूदने की कोई जगह नहीं है, बंद सा हॉस्टल है और बच्चों को खेलने-कूदने का कोई मौका नहीं है। अन्दर भी खेलने के लिए कोई खिलौना, चेस या कैरम चीजें भी नहीं थीं। उसके अलावा कई बार देखा गया है, जो थोड़ी बड़ी लड़कियां थीं उनसे कीचेन में काम भी करा रहे थे। यह बिल्कुल सही नहीं है। जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं उनसे कीचन में काम कराना ठीक बात नहीं है। उसके अलावा साफ-सफाई में निश्चित रूप से समस्या थी। खास तौर पर जो बाथरूम था, उसमें लड़कियों के लिए डस्टबीन होने चाहिए, वह नहीं था। इस तरह की प्रोबल्म है। इसके अलावा, अगर हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं तो कायदे से बच्चों को कोचिंग या ट्यूशन की फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। उसके लिए हम पैसा नहीं देते, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए। कई जगह पर ट्यूशन के लिए प्रोविजन नहीं था। इस तरह की प्रोबल्म देखी गई।"

5.14 छात्रावासों में शिकायत निवारण तंत्र के बारे में पूछे जाने पर, समिति को विभाग द्वारा अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में बताया गया कि:

> "यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों को निर्धारित मानदंड के अनुसार सेवा मिलती हैं, भारत सरकार ने नागरिक शिकायतों/समस्याओं का समाधान करने के लिए सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीय लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली) अपनाई है। यदि निर्धारित सेवा मानक पूरे नहीं किए जाते हैं या कोई दुर्व्यवहार होता है तो नागरिक इस प्रणाली का उपयोग शिकायत करने के लिए कर सकते हैं । इसके अलावा योजना के दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा छात्रावासी छात्रों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सूचना के तहत एक शिकायत समाधान प्रणाली विकसित की जाएगी।"

5.15 यह पूछे जाने पर कि क्या केन्द्रीय मंत्रालय में बीजेआरसीवाई छात्रावासों में छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं जैसे कि भोजन, अवसंरचना, सुरक्षा तथा संरक्षा की गुणवत्ता की भौतिक जांच करने के लिए कोई तंत्र है, विभाग ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि:

"इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार केवल छात्रावास भवनों के निर्माण और मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिए योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों को पात्र केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार सहित कार्यान्वयन एजेंसियां योजना के तहत निर्मित छात्रावासों के संचालन और निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।"

5.16 निधियों के रख-रखाव के संदर्भ में, समिति को विभाग द्वारा लिखित उत्तर के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ बताया गया कि:

"प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय छात्रावास चालू होना चाहिए और कुल स्वीकृत छात्रावासियों में से न्यूनतम 50% को आवासित होना चाहिए जिनमें कम से कम 70% अनुसूचित जाति के छात्र होने चाहिए । बालिका छात्रवासों में महिला वार्डन और महिला गार्ड होनी चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसियां इन छात्रावासों की मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। छात्रावास के जमीनी स्तर के संचालन की निगरानी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अथवा संस्थान द्वारा की जाती है।"

5.17 छात्रावासों की अध्यावास स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि:

" योजना के अंतर्गत, छात्रावासों के काम-काज और रहने की स्थिति की निगरानी निर्माण के बाद कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए, जिन्हें वार्षिक अध्यावास स्थिति प्रस्तुत करना आवश्यक है। नए प्रस्ताव पस्तुत करते समय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को पूर्ण में स्वीकृत छात्रावासों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। तथापि, चूंकि यह डेटा आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसलिए कार्यान्वयन एजेंसियों को फिर से योजना के तहत निर्मित छात्रावासों की अध्यावास स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।"

5.18 छात्रावासों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, सचिव ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:

> "इसकी इम्पलीमेंटेशन राज्य सरकार करेगी। इसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देखता है। गुणवत्ता के बारे में हम उनसे बात कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऊपर पूरा सिस्टम है, अगर कोई समस्या है तो वहां एड्रैस कर सकते हैं।"

5.19 समिति ने नोट किया कि छात्रावासों के संचालन और उनके रखरखाव के लिए विशेष रूप से कार्यान्वयन अभिकरण उत्तरदायी हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, हॉस्टलों के छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र सहित गर्ल्स हॉस्टलों में हाउस कोचिंग, मेडिकल केयर, आवधिक स्वास्थ्य शिविर, आईटी शिक्षा, खेल कोचिंग, लेडी वार्डन और रात्रि चौकीदार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी होती हैं। छात्रावासों में दाखिले के बारे में प्रचार के लिए भी कार्यान्वयन अभिकरण जिम्मेदार हैं। कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना संभवत एक नैमित्तिक कार्य बन

गया है और इसलिए वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है । छात्रावासों में रह रहे छात्रों को कार्यान्वयन अभिकरणों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है, ऐसा और भी आवश्यक है क्योंकि वे समाज के उन गुटों के हैं जो भय/विश्वास की कमी के कारण अपनी समस्याओं के बारे में आगे नहीं आते हैं । इसलिए समिति चाहेगी कि विभाग अपनी भूमिका को वित्तपोषण से आगे विस्तारित करे। विभाग को नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार छात्रावास प्रबंधन समितियों के माध्यम से छात्रावास प्रबंधन समितियों के माध्यम से छात्रावास का ट्रैक रखने और उपयुक्त डिजिटाइज्ड तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की सदियों पुरानी प्रणाली पर निर्भर रहने के बजाय सभी संबंधित जानकारी विभाग के पास आसानी से उपलब्ध हो सके । जैसा कि समिति द्वारा पहले ही जोर दिया गया है, विभाग को अध्यावास स्थिति के बारे में तात्कालिक जानकारी रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त प्रचार किया जाए ताकि छात्रावासों में शतप्रतिशत अध्यावास हो। समिति यह भी इच्छा करती है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को औचक निरीक्षण/सामाजिक अंकेक्षण के अलावा छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने के निर्देश जारी किए जाएं ताकि प्रत्येक शिकायत/शिकायत का बिना किसी विलम्ब के उचित समाधान किया जा सके।

5.20 समिति का कहना है कि विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों और गंगा मैदानी क्षेत्रों और निचले हिमालयी क्षेत्र में छात्रावासों के निर्माण और छात्रावासों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अलग-अलग लागत मानदंड तय किए हैं। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि हाल ही में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की सिफारिश पर लागत मानदंडों में संशोधन किया गया है। समिति उन कारणों को नहीं समझ पा रही है जिनके कारण मुद्रास्फीति के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए लागत मानदंडों को समय पर संशोधित नहीं किया गया था। उनका दृढ़ विश्वास है कि यदि विभाग ने समय पर लागत मानदंडों को संशोधित किया होता, तो उन्हें छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते थे जिससे अनुसूचित जाति के कई जरूरतमंद छात्रों को लाभ हो सकता था। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए नियमित अवधि पर निर्माण लागत के साथ-साथ मरम्मत और रखरखाव

लागत को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि यथार्थवादी लागत मानदंड तैयार किए जा सकें जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन बेहतर होगा।

5.21 योजना के समग्र आकलन के बारे में समिति का मानना है कि अनुसूचित जाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की केंद्र प्रायोजित योजना क्रमश 1961-66 और 1989-90 से लागू की गई है जिसके बाद 2007-2008 में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना लागू है, जिसे दो बार 2018 और 2020 में संशोधित किया गया था। अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए परिवर्तन लाने के बावजूद इस योजना को शुरू नहीं किया गया है, हालांकि इस योजना में बार-बार परिवर्तन किए गए हैं। अब तक केवल 819 छात्रावासों की स्वीकृति मिली है और अब तक 662 का निर्माण हो सका है। सबसे निराशाजनक बात यह है कि इनमें से वास्तव में संचालित हॉस्टलों की संख्या महज 366 यानी अजा लड़कियों के लिए 344 और अजा लड़कों के लिए 22 है। यह देश में इतनी बड़ी अनुसूचित जाति की गरीब आबादी के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। समिति यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य हुई है कि इस योजना का संचालन लगातार नोडल विभागों द्वारा अपेक्षित उत्साह और जोश के साथ नहीं किया गया है । सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2004 से विशेष मंत्रालय बनाने के बाद भी इस योजना ने अच्छा कार्य नहीं किया है। यह तथ्य कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 15 वर्षों की अवधि के बाद भी 2007-08 में योजना में संशोधन से पहले स्थापित छात्रावासों का रिकार्ड प्राप्त नहीं कर पाया है, इसका पर्याप्त प्रमाण है। हालांकि समिति को इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है कि छात्रावासों के निर्माण और प्रगति की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक परियोजना निगरानी इकाई लंबित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति को बढ़ावा देगी, समिति को संदेह है क्योंकि विभाग के जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि एक इकाई पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें युवा पेशेवरों को दशकों से लटक रही एक योजना को सुधारने की आशा के साथ लगाया गया है । हालांकि समिति को विभाग के सर्वोत्तम इरादों पर भरोसा है, फिर भी उनका मानना है कि यदि इस योजना को अपने प्रतिष्ठापित उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो विभाग को अपने तंत्र पर फिर से विचार करने और खामियों को दूर करने और प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्ययुदय योजना (पीएम-अजय) की नई पहल के तहत लीकेज को दूर करने के लिए

आउट-ऑफ-द-बॉक्स समाधानों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसलिए समिति मंत्रालय से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों आदि की तर्ज पर योजना के संचालन के लिए समर्पित निकाय के गठन पर विचार करने की पुरजोर सिफारिश करती है, क्योंकि अब इस योजना को पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है।

अध्याय - छह

निगरानी और मूल्यांकन

6.1 प्रगति रिपोर्टों के आधार पर नियमित रूप से छात्रावासों के निर्माण/पूर्णता की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया जाता है। इसमें (क) संयुक्त सचिव (एससीडी-बी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता- अध्यक्ष (ख) राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि- सदस्य (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि- सदस्य (घ) निदेशक/उप-सचिव (एससीडी-बी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता- सदस्य (ङ) अवर सचिव (बीजेआरसीवाई), सामाजिक न्याय और अधिकारिता- संयोजक होते हैं। संचालन समिति निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करती है। इसके अलावा, निर्माण के बाद छात्रावासों के कामकाज और अध्यावास की स्थिति की भी निगरानी करती है। कार्यान्वयन एजेंसियों को वार्षिक अध्यावास स्थिति प्रस्तुत करनी होती है। नए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, राज्य सरकारें/संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासन पहले स्वीकृत छात्रावासों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से, मंत्रालय/संचालन समिति परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए उपयुक्त एजेंसियों/प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्र का दौरा करा सकती है या स्वयं इसका दौरा कर सकती है। समिति विशेषज्ञों को जब भी वे आवश्यक समझे, विशेष आमंत्रिति के रूप में आमंत्रित कर सकती है। एक स्वतंत्र तृतीय-

पक्ष परिणाम मूल्यांकन समय-समय पर किया जाएगा।

6.2 यह पूछे जाने पर कि क्या मार्च, 2020 से छात्रावासों के निर्माण और कामकाज/अध्यावास की स्थिति की प्रगति की निगरानी के लिए संचालन समिति की अपेक्षित संख्या में बैठकें हुई हैं, विभाग ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि:

> "संचालन समिति की बैठकें 28/6/2019 और 07/01/2020 को हुई थी और विभाग के संयुक्त सचिव (एससीडी-बी) की अध्यक्षता में कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ 20/05/2020 से 22/05/2020 तक, 23/07/2020 और 24/07/2020 तथा 30/9/2020 और 05/03/2021 को आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थी।"

6.3 समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या संचालन समिति निर्माण की प्रगति और छात्रावासों के कामकाज से संतुष्ट है, विभाग ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में बताया कि:

> "छात्रावासों के कामकाज और अध्यावास की स्थिति की निगरानी के लिए मंत्रालय/संचालन समिति कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठक करती है। जरूरत पड़ने पर इस विभाग के अधिकारी फील्ड विजिट के लिए भी जाते हैं। विभाग के संयुक्त सचिव ने 05.03.2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की और छात्रावासों की स्थिति पर चर्चा की। इसके अलावा, इस विभाग के अंतर्गत आने वाले एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस (एनआईएसडी) के तहत एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) स्थापित की गई है। पीएमयू की टीम क्षेत्र स्तर पर भी बीजेआरसीवाई सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख कर रही है। विभाग की अधिक मूल्य की परियोजनाओं का पीएमयू द्वारा वास्तविक निरीक्षण/दौरा किया जा रहा है।"

6.4 यह पूछे जाने पर कि क्या समिति द्वारा संचालन समिति की बैठक में विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के प्रावधान का प्रयोग कभी किया गया है, विभाग ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में बताया कि:

"उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में संचालन समिति की बैठक में विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया है और जब भी ऐसी आवश्यकता होगी, किया जाएगा।"

6.5 योजना की निगरानी के संबंध में नीति आयोग के निष्कर्षों के मामले में विभाग ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में कहा कि निम्नलिखित निष्कर्ष नीति आयोग द्वारा दिए गए थे और इस योजना में संशोधन के दौरान इन्हें विधिवत रूप से नोट किया गया है और इन्हें शामिल किया जाएगा:

(i) मंत्रालय सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को परिचालनाधीन छात्रावासों के रखरखाव और दिन-प्रतिदिन के खर्च के संबंध में अलग से वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने का अधिदेश देता है। इसकी अलग से निगरानी की जानी चाहिए, और विशिष्ट उत्पादन परिणाम संकेतकों को इसके लिए परिभाषित किया जाना चाहिए।

(ii) योजना के दिशा-निर्देशों में एससीएसपी के तहत योजनाओं के साथ योजना के अभिसरण का एक घटक जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, पीएमएजेवाई के एससीए टू एससीएसपी जैसी विभिन्न योजनाओं के अवसंचना के घटक को बीजेआरसीवाई के साथ समेकित किया जा सकता है ताकि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के संबंध में कमी को दूर किया जा सके।

(iii) निगरानी में दक्षता में सुधार के लिए एक सशक्त निगरानी और परिणाम ढांचे की सिफारिश की जाती है। प्रमुख संकेतकों का नाम, संकेतकों की परिभाषा/विवरण, संकेतकों के अंश और हर, डेटा संग्रह की आवृत्ति, डेटा स्रोत, डेटा एकत्र करने की विधि और डेटा एकत्र करने की जिम्मेदारी दिशा-निर्देशों में शामिल हो सकते हैं।

(iv) योजना के अंतर्गत छात्रावासों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की निगरानी के लिए सभी प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए योजना डिजाइन में छात्रावास प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान शामिल किया जाए, जो वर्तमान में योजना

के दिशा-निर्देशों में नहीं है।

6.6 नीति आयोग के अलावा अन्य द्वारा योजना के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किए गए किसी स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन और उस पर की गई सिफारिश के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने साक्ष्योत्तर लिखित उत्तर में बताया कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2017-18 में इस योजना का थर्ड पार्टी मूल्यांकन किया गया था। प्रमुख सिफारिशों जैसे (i) रखरखाव और मरम्मत के लिए बजट का प्रावधान; (ii) वार्डन/महिला वार्डन, चौकीदार/महिला गार्ड की नियुक्ति कर तथा चारदीवारी आदि का निर्माण करके छात्रावास की सुरक्षा को सुदृढ़ करने; (iii) छात्रवृत्ति की राशि, इन-हाउस कोचिंग, चिकित्सा सुविधा आदि बढ़ाकर छात्रों की देख-रेख की दिशा में होने वाले खर्चों को पूरा करने का प्रावधान,आदि के संबंध में प्रावधान दिशा-निर्देशों में किए गए हैं।

6.7 समिति यह जानकर अप्रसन्नता व्यक्त करती है कि छात्रावासों के निर्माण/निर्माण कार्य पूरा होने की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए तथा कार्यकरण और अध्यावास की निगरानी करने के लिए संचालन समिति का प्रावधान होने के बावजूद, न तो निर्माण कार्य और न ही छात्रावासों का कार्यकरण संतोषजनक है। उसे आश्चर्य है कि क्या ऐसी समिति अस्तित्व में है, तथा ,यदि अस्तित्व में है, तो क्या उसकी बैठकें विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए नियमित रूप से आयोजित हो रही हैं ।यदि कार्य को गंभीरता से लिया जाता तथा विलंब से चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय दौरे किए जाते तो यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्य से पीछे नहीं चलती। अब यह कार्य परियोजना निगरानी इकाइयों को दे दिया गया है इसलिए समिति को विश्वास है कि इस स्थिति में सुधार होगा । वास्तविक प्रगति जानने के लिए समिति को परियोजना निगरानी इकाई के निष्कर्षों तथा आदानों पर आधारित भावी कार्य योजना के बारे में जानने की जरूरत है। समिति की यह भी पुरजोर राय है कि इस योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए छात्रावासों की प्रगति और उनके कार्यक्रम की निगरानी करने हेतु एक छात्रावास निगरानी समिति गठित की जा सकती है जो केवल यही कार्य करे तथा स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उचित दंड के विधान किए जा सकते हैं। समिति महसूस करती है कि निगरानी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सक्षम निगरानी

तंत्र के बारे में नीति आयोग की सिफारिशें को इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए इस योजना के दिशा निर्देश में उचित रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली; **रमा देवी,**
02 नवम्बर, 2021
11 अग्रहायण, 1943 (शक) **सभापति,**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति।

अनुबंध एक

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की मंगलवार 10 नवंबर, 2020 को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति की बैठक 1100 बजे से 1430 बजे तक समिति कमरा संख्या 2, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री थोमस चाजिकाडन
3. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
4. श्रीमती रंजीता कोली
5. श्रीमती गीता कोड़ा
6. श्री अक्षयवर लाल
7. श्री पशुपति कुमार पारस
8. श्रीमती रेखा वर्मा
9. श्रीमती रमिलाबेन बारा

राज्य सभा

10. श्री एन. चन्द्रशेखरन
11. श्री पी. एल. पुनिया

12. श्री राम कुमार वर्मा

लोक सभा सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पांडा - संयुक्त सचिव

2. श्रीमती ममता केनवाल - निदेशक

***** ***** ***** *****

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के प्रतिनिधि

क्रमांक सं.	नाम	पदनाम और संगठन
1	श्री आर. सुब्रह्मण्यम	सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और श्री पशुपति कुमार पारस, संसद सदस्य, लोक सभा को समिति में उनको नामित किए जाने पर बधाई दी। तत्पश्चात्, सभापति ने समिति को सूचित किया कि श्री पी.एल.पुनिया, संसद सदस्य (राज्य सभा) का कार्यकाल 25 नवंबर, 2020 को समाप्त हो रहा है तथा उन्होंने श्री पुनिया को समिति के कार्यकरण में उनकी सहायता और मूल्यवान योगदान के लिए सराहना की। तदुपरांत, समिति ने पिछले कार्यकाल (2019-20) के दौरान दो सदस्यों श्री दुर्गा प्रसाद बल्ली और श्री अशोक गस्ती के दुखद निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। समिति के सभी सदस्यों और अधिकारी दिवंगत नेताओं के सम्मान में एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

3. ***** ***** ***** *****

4. ***** ***** ***** *****

5. ***** ***** ***** *****

6. ***** ***** ***** *****

7. ***** ***** ***** *****

8. ***** ***** ***** *****

9. इसके बाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के प्रतिनिधियों को 'एससी लड़के और लड़कियों के लिए बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना' पर वार्ता के लिए बुलाया गया था। अध्यक्ष ने समिति की बैठक में उनका स्वागत किया और समिति के समक्ष

प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में 'माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्देश' के निर्देश 55(I) की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया।

10. तत्पश्चात सचिव ने इस विषय पर समिति को जानकारी दी। बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई वे इस प्रकार हैं:-

(i) पिछले 59 वर्षों में योजना की प्रगति।

(ii) योजना के तहत बजट के कम उपयोग के कारण।

(iii) योजना के तहत निर्मित छात्रावासों के प्रबंधन में विभाग की भूमिका।

(iv) स्वीकृत छात्रावासों को शीघ्र पूरा करने के लिए उठाए गए कदम।

(v) स्वीकृत छात्रावासों के निर्माण कार्य के लिए निगरानी तंत्र।

(vi) निजी संस्थानों को योजना के दायरे से हटाना।

(vii) नीति आयोग द्वारा योजना का मूल्यांकन अध्ययन।

(viii) छात्रों विशेषकर छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए उपाय।

(ix) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की नई योजना।

11. सचिव ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर दिए। इसके बाद अध्यक्ष ने उन्हें सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का लिखित उत्तर दो सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया।

12. इसके बाद अध्यक्ष ने इस विषय पर समिति को बहुमूल्य जानकारी देने और सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव और अन्य अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

इस कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।
तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।
(तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।)

***** मामला प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

<u>अनुबंध दो</u>

अनुबंध दो

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की दिनांक 13 जुलाई, 2021 को हुई बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक समिति कक्ष सं. 3, संसदीय सौध विस्तार भवन, ए-ब्लॉक, नई दिल्ली में 1430 बजे से 1600 बजे तक हुई ।

उपस्थिति

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमति संगीता आजाद
3. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
4. श्रीमती रंजीता कोली
5. श्री विजय कुमार
6. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

7. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
8. श्री अबीर रंजन चौधरी
9. श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा
10. श्री राम नाथ ठाकुर
11. श्री रामकुमार वर्मा

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पांडा - संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ममता केमवाल - निदेशक

3. श्री कृष्णेन्द्र कुमार - उप सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर. सुब्रह्मण्यम - सचिव
2. श्रीमती कल्याणी चड्ढा - संयुक्त सचिव

2. सर्वप्रथम माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के प्रतिनिधियों का उनके विभाग से संबंधित 'अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेने के लिए आयोजित समिति की बैठक में स्वागत किया। अपने उद्घाटन भाषण में सभापति ने अन्य बातों के साथ साथ सभी स्वीकृत छात्रावासों का निर्माण निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किए जाने का उल्लेख किया तथा इसके कारण पूछे, साथ ही उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी। उन्होंने प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) के साथ बीजेआरसीवाई के विलय के कारणों और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि छात्रावासों के प्रबंधन के संबंध में सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए, हेतु उपायों के विषय में भी जानकारी मांगी।

3. इसके बाद सभापति ने लोकसभा सभापति के निदेशों के निदेश 55 (1) का उल्लेख करते हुए विभाग के प्रतिनिधियों को सूचित किया कि इस विषय पर सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने तक समिति की कार्यवाही गोपनीय होती है। तत्पश्चात् सभापति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव से अपने दल का परिचय देने के लिए कहा।

4. तत्पश्चात् समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

एक. छात्रावासों की संख्या का मूल्यांकन करने तथा उचित प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता जिससे देश में सभी राज्यों/केंद्रों में और अधिक छात्रावास स्थापित किए जा सकें।

दो. गुणवत्ता सुनिश्चित करने और छात्रावासों के निर्माण में देरी से बचने के लिए निगरानी प्रणाली।

तीन. सुविधाओं की विधिवत उपलब्धता और उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा छात्रावासों का आवधिक निरीक्षण करने की आवश्यकता।

चार. वर्ष 2007-08 से पूर्व स्वीकृत छात्रावासों के आंकड़ों/अभिलेखों का रखरखाव क्योंकि यह योजना लंबे समय से चल रही है।

पांच. बजटीय आवंटन/व्यय का विश्लेषण और निधियों के कम उपयोग से बचने के लिए एक प्रणाली विकसित करना।

इसके बाद सभापति ने श्री रामकुमार वर्मा, संसद सदस्य, को बैठक के शेष भाग का सभापतित्व करने के लिए आमंत्रित किया। बैठक निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा के साथ पुन: प्रारंभ हुई:

एक. छात्रावास के निवासियों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए किसी भी कार्रवाई से पहले विभाग द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की उचित संवीक्षा।

दो. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली कि पीएम-एजेएवाई योजना में विलय के बाद बीजेआरसीवाई को किसी प्रकार की हानि न हो।

तीन. छात्रावास के निवासियों की शिकायतों के निराकरण के लिए निवारण तंत्र।

चार. 2009 में योजना आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन की तर्ज पर योजना का आवधिक मूल्यांकन।

पांच. देश में कम साक्षरता वाले जिलों से संबंधित जानकारी।

छह. छात्रावासों में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए प्रणाली का विकास।

5. सचिव ने उपरोक्त मामलों पर सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया।

6. बैठक समाप्त करने से पहले, सभापति ने विभाग को निर्देश दिया कि वह रिपोर्ट को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए सदस्यों द्वारा पूछे गए और अनुत्तरित रह गए प्रश्नों के लिखित उत्तर एक सप्ताह के भीतर सचिवालय को प्रस्तुत करे।

बैठक की शब्दश: कार्यवाही की प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात् साक्षीगण चले गए।

(तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।)

अनुबंध तीन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की सोमवार, दिनांक 15 नवम्बर, 2021 को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक समिति कक्ष सं. डी, संसदीय सौध भवन, नई दिल्ली में 1200 बजे से 1230 बजे तक हुई ।

उपस्थिति

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य- लोक सभा

2. श्रीमति संगीता आजाद
3. श्री वाई देवेन्द्रप्पा
4. श्रीमती रंजीता कोली
5. श्री अर्जुन सिंह

राज्य सभा

6. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा

7. श्री अबीर रंजन चौधरी
8. श्री नारायण कोरागप्पा
9. श्रीमती छाया वर्मा
10. श्री रामकुमार वर्मा

सचिवालय

1. श्रीमती ममता केमवाल - निदेशक
2. श्री कृष्णेन्द्र कुमार - उप सचिव

1. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अवगत कराया कि यह बैठक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के 'अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)' पर समिति के छब्बीसवें प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए बुलाई गई है। सदस्यों को प्रतिवेदन में निहित महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में भी बताया गया ।

2. तत्पश्चात सभापति ने सदस्यों को प्रारूप प्रतिवेदनों के संबंध में अपने सुझाव, यदि कोई हो तो, देने का अनुरोध किया। समिति द्वारा प्रतिवेदन को बिना किसी आशोधन के स्वीकार किया गया। इसके बाद समिति ने सभापति को परिणामी परिवर्तन, जो प्रारूप प्रतिवेदन के तथ्यात्मक जांच में सामने आए हो, को अंतिम रूप देने और इसे दोनों सभाओं में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

(तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।)

परिशिष्ट

प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों का विवरण

क्रम सं.	पैरा सं.	टिप्पणियां/सिफारिशें
1.	2.12	समिति नोट करती है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण की 60 वर्ष पुरानी योजना 2008 से बीजेआरसीवाई के नाम से चल रही है। इस योजना में अनेक बड़े संशोधन हुए हैं। हाल का संशोधन यह है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 से इस योजना के लिए बजट आवंटन को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) में मिला दिया गया है और इसके साथ में दो अन्य योजनाएं नामत: प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) तथा अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए टू एससीएसपी) हैं। मंत्रालय ने समिति को आश्वस्त करने का प्रयास किया है कि इससे अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं हेतु छात्रावास के निर्माण के लिए असीमित निधियां प्राप्त होंगी। समिति यह जानकर आश्चर्य व्यक्त करती है कि अनुदानों की मांगों (2021- 22) की जांच के दौरान मंत्रालय द्वारा सूचना दी गई है कि इसमें वृद्धि किए जाने के बजाए 2021-22 के लिए बजटीय आवंटन 160.00 करोड़ रुपए घटा दिया गया है क्यों कि 2020-21 पीएमएजीवाई के लिए बजट आवंटन तथा एसीए टू एससीएसपी और बीजेआरसीवाई के अंतर्गत वास्तविक व्यएय जोड़ने पर 1960.00 करोड़ रुपए बैठता है जबकि 2021-22 के दौरान यह मात्र 1800.00 करोड़ रुपए है। इसके अलावा छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग आवंटन को एक साथ मिला दिया गया है और 2019-20 से घटाया गया एकल आवंटन किया जा रहा है। समिति विभाग के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है कि एकल आवंटन से आवश्यभकता का बेहतर आकलन, आयोजना तथा संसाधनों का अधिक सफल तरीके से उपयोग हो पाएगा क्योंकि योजना का कार्य-निष्पादन अत्यंत निराशाजनक रहा है क्यों्कि विभाग ने 2007-08 से

		2020-21 तक की 13 वर्षों की अवधि में मात्र 819 छात्रवासों को मंजूरी दी है। इसमें से 2016-17 से अब तक मात्र 110 छात्रावासों को मंजूरी दी गई है इसलिए समिति को इस बात का विश्वास दिलाए जाने की आवश्यकता है कि बीजेआरसीवाई के अंतर्गत छात्रावासों के लिए तेजी से मंजूरी मिले और इनका वास्तविक निर्माण हो जिससे यह विश्वास बन सके कि अब यह कार्य एकल आवंटन से अच्छी तरह आगे बढ़ेगा । समिति महसूस करती है कि अन्य योजना से प्रभावित हुए बिना अथवा अन्य योजनाओं को प्रभावित किए बिना इसके स्वतंत्र कार्यकरण के लिए विशिष्ट आवंटन जारी रहना चाहिए था। बीजेआरसीवाई सहित तीन योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान 2021-22 में पीएम-अजय के अंतर्गत कर दिया गया है। समिति आशा करती है कि पीएम-एजेएवाई आवंटन में से हर योजना के अंतर्गत कम-से-कम आंशिक आवंटन करना चाहिए था जिसमें छात्रों और छात्राओं के छात्रावासों के लिए अलग-अलग आवंटन हो ताकि प्रत्येक योजना आवंटित निधियों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करे और प्रत्येयक योजना की सफलता का आकलन उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर हो। समिति विभाग से आशा करती है कि वह पीएम-एजेएवाई के अंतर्गत बीजेआरसीवाई को सफल बनाने के लिए नई निधि की व्यवस्था के समर्थन और औचित्य को सिद्ध करने के लिए की गई कार्रवाई के स्तर पर उसे वो आंकड़े प्रदान करे जो आंकड़े काफी समय से लंबित मंजूरी प्राप्त छात्रावासों को शीघ्र पूरा करने तथा जरुरतमंद ब्लॉकों/जिलों में अधिक संख्या में मंजूरी के संदर्भ में दिए गए हों, जैसा कि इस विषय पर चर्चा के दौरान बार-बार यह बात कही गई है।
2.	2.13	समिति यह जानकर हतप्रभ हुई कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना के एक प्रस्ताव को इस तथ्य के बावजूद व्य य वित्त समिति द्वारा मंजूरी नहीं दी गई कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान अतिरिक्त निधियों का उपबंध पहले से ही मौजूद था। समिति महसूस करती है कि इस प्रकार के आवासीय विद्यालयों की

		स्थापना से नि:संदेह अनुसूचित जाति की बालिकाओं को अपने शैक्षिक स्तिर में वृद्धि करने का एक अवसर प्राप्त होगा क्योंकि प्राय: देखा जाता है कि शिक्षा की बढ़ती लागत के कारण अनुसूचित जाति की बालिकाओं को स्कूलिंग में अपने भाइयों की तुलना वरीयता नहीं मिलती है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने यह कहते हुए इसका समर्थन किया कि छात्रावास की उपयुक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर छात्राओं के माता-पिता भी उन्हें अध्ययन के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। इस संदर्भ में समिति यह भी महसूस करती है कि अनेक राज्यों में अभी भी मौजूदा सरकारी विद्यालयों का शैक्षिक स्तर उत्साहजनक नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार का देश में अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना को बंद करना उचित समय से पूर्व उठाया गया कदम होगा। इसलिए समिति चाहती है कि इस संसदीय समिति की भावनाओं से अवगत कराते समय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने के अपने पूर्व प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति के विचार हेतु पुनः प्रस्तुत करे तथा उचित समय पर इससे उसे भी अवगत कराए।
3.	3.19	समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि विभाग के पास इस योजना के तहत स्थापित सभी अनुसूचित जाति छात्रावासों का ब्यौरा नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण का प्रावधान काफी पहले 1961-66 में किया गया था । वस्तुतः, विभाग केवल ऐसे छात्रावासों का ब्यौरा समिति को उपलब्ध करा पाया था, जिन्हें 2007-08 में योजना में संशोधन के बाद स्वीकृत/पूर्ण किया गया था। इसके लिए विभाग का स्पष्टीकरण यह था कि 2007-08 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का पुनर्गठन किया गया था और इसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कुछ विभागों को इनसे अलग कर मंत्रालय बनाया गया था । फिर भी यह काफी आश्चर्यजनक है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तब से इस योजना के लिए केवल 46 वर्ष (1961-2007) का रिकार्ड प्राप्त नहीं कर पाया है। समिति के समक्ष पेश होने पर विभाग दो बार समिति को ठोस जवाब नहीं दे पाया। यह बाद में सूचित किया गया कि समिति के आग्रह के

		बाद अभिलेखों को पुन प्राप्त करने की कवायद शुरू की गई है, जिसमें परियोजना निगरानी इकाई से सूचना एकत्र करने के लिए कहा गया है । समिति को आशा है कि विभाग ने अब तक स्वीकृत सभी अनुसूचित जाति छात्रावासों के विवरण के संकलन के लिए व्यापक कार्य किया है और चाहती है कि विभाग के सचिव द्वारा की गई प्रतिबद्धता के अनुसार की गई कार्रवाई के स्तर पर इस संबंध में की गई प्रगति/ एकत्र आंकड़ों की जानकारी से समिति को अवगत कराया जाये ।
4.	3.20	समिति यह नोट कर दुखी है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निम्न साक्षरता जिलों के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में बालिका/बालक छात्रावास बनाने की योजना के उद्देश्य से 2007-08 में योजना में संशोधन के बाद से केवल 819 छात्रावासों अर्थात लड़कियों के लिए 391 और लड़कों के लिए 271 को ही मंजूरी दे पाया है। इनमें से अब तक केवल 662 का ही निर्माण हुआ है, 144 निर्माणाधीन बताये गए हैं और 13 को राज्यों ने विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिया है। 2018 और 2020 में इस योजना में और संशोधन के बाद, जहां गैर-सरकारी संगठनों और निजी संस्थानों/मानद विश्वविद्यालयों को उनके छात्रावासों के विस्तार और अनुसूचित जाति की आबादी के मानदंडों को 20 प्रतिशत या उससे अधिक से घटाकर 15 प्रतिशत या उससे अधिक करने के संबंध में दो बड़े निर्णय लिए गए थे, उसके बाद यह योजना अवरुद्ध हो गई क्योंकि उसके बाद विभाग केवल 62 छात्रावासों को ही मंजूरी दे पाया है। पूछे जाने पर विभाग ने खराब निष्पादन के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि इस योजना के तहत छात्रावास के निर्माण की मंजूरी उनसे पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त करने पर निर्भर करती है । समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि तुलनात्मक रूप से अनुसूचित जाति की अधिक आबादी वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पंजाब, बिहार आदि को कम छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं और यहां तक कि कई मामलों में स्वीकृत छात्रावासों को भी चालू नहीं किया गया है । इसलिए समिति का दृढ़ विश्वास है कि इस योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी विभाग की है क्योंकि उनके द्वारा छात्रावास सुविधा

		निर्माण के लिए यह योजना शुरू की गई थी ताकि देश के ग्रामीण और शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की लड़कियां/लड़के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त और पूर्ण कर सकें और इसलिए वे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्तावों के अभाव में बीजेआरसीवाई के प्रदर्शन में सुधार के लिए अपनी लाचारी व्यक्त करने में न्यायोचित नहीं है। चूंकि उपलब्ध छात्रावासों की संख्या अभी भी मौजूदा अनुसूचित जाति की आबादी की तुलना में बहुत कम है और अनुसूचित जाति के छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रावासों की आवश्यकता होती है, इसलिए विभाग को नियमित रूप से अपनाए गए सामान्य उपायों से परे अभिनव विचारों के बारे में सोचना चाहिए । चूंकि विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित करने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए यह तत्काल आवश्यक है कि सबसे पहले पूरे भारत में विभिन्न जिलों में छात्रावासों के लिए एक विश्वसनीय डाटाबेस बनाया जाए, जिसे केन्द्रीय स्तर पर वास्तविक समय आधार पर अद्यतन करने और निगरानी की सुविधा हो । समिति को इस बात का भी आश्चर्य है कि जब इसके लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की जा सकती है तो कमी वाले जिलों में छात्रावासों की योजना क्यों नहीं बनाई जा सकती। तथापि पहले उचित मापदंडों/बेंचमार्कों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि एक व्यावहारिक कार्य योजना तैयार की जा सके । इसके लिए डेटा संग्रह और विश्लेषण की आवश्यकता होगी । समिति इस बात पर जोर देती है कि यथा लक्षित योजना को प्रभावी बनाने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। समिति अब इस तरीके से विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी ताकि दो वर्ष की समय सीमा में अपेक्षित संख्या में छात्रावास स्वीकृति, निर्माण और प्रारंभ किए जा सकें।
5.	3.21	समिति ने हाल ही में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंक वाले कुछ संस्थानों और कुछ आकांक्षी जिलों के लिए ऐसे छात्रावासों की आवश्यकता/मांग का व्यापक मूल्यांकन किया है कि एनआईआरएफ रैंक वाले कुछ संस्थानों और कुछ आकांक्षी जिलों ने छात्रावासों की आवश्यकता को दर्शाया है। समिति ने यह भी नोट किया कि विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए

		छात्रावासों की उपलब्धता और आवश्यकता के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) के तहत एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) की स्थापना की गई है। समिति महसूस करती है कि अपेक्षित छात्रावासों का मूल्यांकन बिना किसी विलम्ब के समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, जिसमें क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाये ताकि कार्य सावधानीपूर्वक किया जा सके और निश्चित कार्रवाई करने के लिए निर्णय लेने हेतु विश्वसनीय आंकड़े एकत्र किए जा सकें। समिति छात्रावासों के आकलन की संख्या और की गई कार्रवाई के स्तर पर मूल्यांकन करने के लिए तय मापदंडों संबंधी जानकारी से अवगत होना चाहेगी। समिति यह जानकर हैरान है कि आज भी इस योजना के तहत क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है और महसूस करती है कि ऑनलाइन पोर्टल बनाने से छात्रावासों की मंजूरी और निर्माण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से तेज करने में मदद मिलेगी। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग को बिना किसी विलम्ब के ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहिए और इस संबध में समिति को सूचित करें।
6.	4.16	समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि अनुसूचित जाति की लड़कियों और लड़कों के लिए स्वीकृत कुल 819 छात्रावासों में से 144 छात्रावासों का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और 13 छात्रावासों को रद्द कर दिया गया है। समिति ने पाया है कि 2008-09 के रूप में इनमें से कई छात्रावासों को स्वीकृत किए जाने के बाद से कई छात्रावासों के निर्माण कार्य में अत्यधिक विलंब हुआ है। इसके अलावा 8 निजी हॉस्टलों का काम भी अधूरा है। समिति ने महसूस किया कि 6 दशक से योजना अस्तित्व में होने के बावजूद विभाग ने ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया है जिससे स्वीकृत छात्रावासों का निर्माण समय पर हो सके। हालांकि, अब 2018 और 2020 में योजना में संशोधन के बाद, विभाग द्वारा परियोजना निगरानी इकाइयों को काम की प्रगति पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी देने के साथ-साथ यह शर्त शामिल करने सहित कई पहलें की जा रही हैं कि जिस भूमि पर छात्रावास का निर्माण

		किया जाना है, वह या तो राज्य सरकार के स्वामित्व में होनी चाहिए या संस्थान के स्वामित्व में होनी चाहिए और भूमि का शीर्षक किसी भी विवाद से मुक्त होना चाहिए, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। समिति को साक्ष्य के दौरान यह भी बताया गया कि विभाग छात्रावासों के निर्माण के लिए ऐसे संस्थानों को तरजीह देगा जिनकी अपनी खुद की बड़ी भूमि हो। समिति आशा करती है कि अब इन प्रणालियों के लागू होने के साथ, उपर्युक्त 144 छात्रावासों का निर्माण दो साल की निर्धारित समय सीमा के भीतर कर लिया जाएगा । समिति विभाग को सुझाव देती है कि निर्धारित समयावधि से अधिक विलंबित परियोजनाओं के लिए दिशा-निर्देशों में उपयुक्त दंड प्रावधानों को शामिल करने पर विचार किया जाए। समिति सिफारिश करती है कि विभाग उपयुक्त उपाय करे ताकि निजी संस्थानों को अब तक स्वीकृत छात्रावासों का कार्य पूरा हो सके। रद्द किए गए छात्रावासों के लिए संबंधित राज्य/यूटी सरकारों को नए और पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि विभाग अपने की गई कार्रवाई टिप्पणियों में विभाग द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी दे।
7.	4.17	समिति ने पाया है कि इस योजना के तहत बहुत पहले स्वीकृत 144 छात्रावासों का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिनमें से 8 छात्रावास निजी संस्थानों के अधीन हैं। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, विभाग ने चार बार रिमाइंडर भेजा और एक वीडियो कांफ्रेंस भी आयोजित की, हालांकि शायद ही कोई परिणाम निकला । समिति ने विभाग द्वारा अब उन 14 राज्यों में 20 कर्मियों की टीम भेजने के लिए की गई पहल की सराहना की है, जहां अधूरे हॉस्टलों की सूचना है, ताकि वास्तविक स्थिति का जायजा लिया जा सके। जैसा कि समिति के समक्ष विभाग द्वारा वायदा किया गया है, इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद उन्हें तस्वीरों के साथ एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। समिति को आशा है कि यह रिपोर्ट की गई कार्रवाई के स्तर पर भेजी जाएगी।
8.	4.18	समिति ने नोट किया है कि 2018 में बीजेआरसीवाई के दिशा-निर्देशों में

		संशोधन के बाद छात्रावासों के विस्तार के लिए गैर-सरकारी संगठनों, निजी संस्थानों और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को केंद्रीय सहायता बंद कर दी गई है। इससे पहले ऐसे संस्थानों के लिए 62 हॉस्टल स्वीकृत किए गए थे। हालांकि समिति का मानना है कि इस प्रावधान को बंद करने से पहले इस मुद्दे पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया होगा, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि कुछ निजी संस्थान/डीम्ड विश्वविद्यालय देश में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, हालांकि ऐसे संस्थानों में अध्ययन करना अनुसूचित जाति के छात्रों के साधनों से परे बहुत महंगा हो सकता है। यदि बीजेआरसीवाई के तहत निर्माण किया जाता है तो कम से कम ऐसे छात्रों को मुफ्त छात्रावास का लाभ मिल सकता है। समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि गैर-सरकारी संगठनों को छोड़कर छात्रावासों के विस्तार के लिए निजी संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को केंद्रीय सहायता के संबंध में प्रावधान, उनके परिचय पत्रों की विस्तृत जांच के बाद, यदि पीएम-अजय के तहत इसकी गुंजाइश है तो फिर से जांच की जा सकती है।
9.	5.19	समिति ने नोट किया कि छात्रावासों के संचालन और उनके रखरखाव के लिए विशेष रूप से कार्यान्वयन अभिकरण उत्तरदायी हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, हॉस्टलों के छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र सहित गर्ल्स हॉस्टलों में हाउस कोचिंग, मेडिकल केयर, आवधिक स्वास्थ्य शिविर, आईटी शिक्षा, खेल कोचिंग, लेडी वार्डन और रात्रि चौकीदार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी होती हैं। छात्रावासों में दाखिले के बारे में प्रचार के लिए भी कार्यान्वयन अभिकरण जिम्मेदार हैं। कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना संभवत एक नैमित्तिक कार्य बन गया है और इसलिए वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है । छात्रावासों में रह रहे छात्रों को कार्यान्वयन अभिकरणों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है, ऐसा और भी आवश्यक है क्योंकि वे समाज के उन गुटों के हैं जो भय/विश्वास की कमी के कारण अपनी समस्याओं के बारे में आगे नहीं आते हैं । इसलिए समिति चाहेगी कि विभाग अपनी भूमिका को वित्तपोषण से आगे विस्तारित करे। विभाग को नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार छात्रावास प्रबंधन समितियों के माध्यम से छात्रावास प्रबंधन समितियों के माध्यम से छात्रावास का

		ट्रैक रखने और उपयुक्त डिजिटाइज्ड तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की सदियों पुरानी प्रणाली पर निर्भर रहने के बजाय सभी संबंधित जानकारी विभाग के पास आसानी से उपलब्ध हो सके । जैसा कि समिति द्वारा पहले ही जोर दिया गया है, विभाग को अध्याधवास स्थिति के बारे में तात्कालिक जानकारी रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त प्रचार किया जाए ताकि छात्रावासों में शतप्रतिशत अध्याावास हो। समिति यह भी इच्छा करती है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को औचक निरीक्षण/सामाजिक अंकेक्षण के अलावा छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने के निर्देश जारी किए जाएं ताकि प्रत्येक शिकायत/शिकायत का बिना किसी विलम्ब के उचित समाधान किया जा सके।
10.	5.20	समिति का कहना है कि विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों और गंगा मैदानी क्षेत्रों और निचले हिमालयी क्षेत्र में छात्रावासों के निर्माण और छात्रावासों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अलग-अलग लागत मानदंड तय किए हैं। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि हाल ही में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की सिफारिश पर लागत मानदंडों में संशोधन किया गया है। समिति उन कारणों को नहीं समझ पा रही है जिनके कारण मुद्रास्फीति के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए लागत मानदंडों को समय पर संशोधित नहीं किया गया था। उनका दृढ़ विश्वास है कि यदि विभाग ने समय पर लागत मानदंडों को संशोधित किया होता, तो उन्हें छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते थे जिससे अनुसूचित जाति के कई जरूरतमंद छात्रों को लाभ हो सकता था। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए नियमित अवधि पर निर्माण लागत के साथ-साथ मरम्मत और रखरखाव लागत को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि यथार्थवादी लागत मानदंड तैयार किए जा सकें जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन बेहतर होगा।
11.	5.21	योजना के समग्र आकलन के बारे में समिति का मानना है कि अनुसूचित

		जाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की केंद्र प्रायोजित योजना क्रमश 1961-66 और 1989-90 से लागू की गई है जिसके बाद 2007-2008 में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना लागू है, जिसे दो बार 2018 और 2020 में संशोधित किया गया था। अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए परिवर्तन लाने के बावजूद इस योजना को शुरू नहीं किया गया है, हालांकि इस योजना में बार-बार परिवर्तन किए गए हैं। अब तक केवल 819 छात्रावासों की स्वीकृति मिली है और अब तक 662 का निर्माण हो सका है। सबसे निराशाजनक बात यह है कि इनमें से वास्तव में संचालित हॉस्टलों की संख्या महज 366 यानी अजा लड़कियों के लिए 344 और अजा लड़कों के लिए 22 है। यह देश में इतनी बड़ी अनुसूचित जाति की गरीब आबादी के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। समिति यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य हुई है कि इस योजना का संचालन लगातार नोडल विभागों द्वारा अपेक्षित उत्साह और जोश के साथ नहीं किया गया है । सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2004 से विशेष मंत्रालय बनाने के बाद भी इस योजना ने अच्छा कार्य नहीं किया है। यह तथ्य कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 15 वर्षों की अवधि के बाद भी 2007-08 में योजना में संशोधन से पहले स्थापित छात्रावासों का रिकार्ड प्राप्त नहीं कर पाया है, इसका पर्याप्त प्रमाण है। हालांकि समिति को इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है कि छात्रावासों के निर्माण और प्रगति की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक परियोजना निगरानी इकाई लंबित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति को बढ़ावा देगी, समिति को संदेह है क्योंकि विभाग के जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि एक इकाई पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें युवा पेशेवरों को दशकों से लटक रही एक योजना को सुधारने की आशा के साथ लगाया गया है । हालांकि समिति को विभाग के सर्वोत्तम इरादों पर भरोसा है, फिर भी उनका मानना है कि यदि इस योजना को अपने प्रतिष्ठापित उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो विभाग को अपने तंत्र पर फिर से विचार करने और खामियों को दूर करने और प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्ययुदय

		योजना (पीएम-अजय) की नई पहल के तहत लीकेज को दूर करने के लिए आउट-ऑफ-द-बॉक्स समाधानों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसलिए समिति मंत्रालय से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों आदि की तर्ज पर योजना के संचालन के लिए समर्पित निकाय के गठन पर विचार करने की पुरजोर सिफारिश करती है, क्योंकि अब इस योजना को पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है।
12.	6.7	समिति यह जानकर अप्रसन्नता व्यक्त करती है कि छात्रावासों के निर्माण/निर्माण कार्य पूरा होने की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए तथा कार्यकरण और अध्यावास की निगरानी करने के लिए संचालन समिति का प्रावधान होने के बावजूद, न तो निर्माण कार्य और न ही छात्रावासों का कार्यकरण संतोषजनक है। उसे आश्चर्य है कि क्या ऐसी समिति अस्तित्व में है, तथा ,यदि अस्तित्व में है, तो क्या उसकी बैठकें विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए नियमित रूप से आयोजित हो रही हैं ।यदि कार्य को गंभीरता से लिया जाता तथा विलंब से चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय दौरे किए जाते तो यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्य से पीछे नहीं चलती। अब यह कार्य परियोजना निगरानी इकाइयों को दे दिया गया है इसलिए समिति को विश्वास है कि इस स्थिति में सुधार होगा । वास्तविक प्रगति जानने के लिए समिति को परियोजना निगरानी इकाई के निष्कर्षों तथा आदानों पर आधारित भावी कार्य योजना के बारे में जानने की जरूरत है। समिति की यह भी पुरजोर राय है कि इस योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए छात्रावासों की प्रगति और उनके कार्यक्रम की निगरानी करने हेतु एक छात्रावास निगरानी समिति गठित की जा सकती है जो केवल यही कार्य करे तथा स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उचित दंड के विधान किए जा सकते हैं। समिति महसूस करती है कि निगरानी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सक्षम निगरानी तंत्र के बारे में नीति आयोग की सिफारिशें को इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए इस योजना के दिशा निर्देश में उचित रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।